TITLE CODE : UPHIN49731

राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका

बसावन इंडिया

वर्ष : 1, अंक : 03 आजमगढ़ • सितंबर 2021 • मूल्य : ₹30

27% वाले मुख्यमंत्रियों के रंग और तेवर

यू.पी. चुनाव : जाति का चेहरा भी देखो...

मेरी भैस को गुस्सा क्यों आया...

वन्दना कटारिया : जाति नहीं मेरा खेल देखों

TITLE CODE : UPHIN49731
आजमगढ़ (उ.प्र.) ▪ माह- सितंबर
सन् - 2021 ▪ वर्ष - 1 ▪ अंक - 03

बसावन इंडिया

संपादक
नरेन्द्र प्रताप

सह-सम्पादक
डॉ. नरेश कुमार साहू

प्रबंध सम्पादक
अरविंद कुमार यादव

कंटेंट एडिटर
डॉ. प्रमोद कुमार
डॉ. श्रद्धा, परिभाषा
बिनिका दुर्गम
कमलेश यादव
मैत्रेयी सिंह

ब्यूरो प्रमुख
दिल्ली एनसीआर - अतुल कुमार
लखनऊ - देशराज (एडवोकेट)
बिहार - आलोक नाथ 'भंटू'
छतीसगढ़ - गणेश सोनकर
मध्यप्रदेश - तेजबहादूर
महाराष्ट्र - आकाश खोब्रागड़े
राजस्थान - डॉ. कालूलाल कुलमी
प्रयागराज - धैर्य मित्र सिंह
कानपुर - सुनील कुमार सुनील
कुशीनगर - कोमल प्रसाद

विधिक सलाहकार
अमरजीत चक्रवर्ती
रविशंकर यादव

डिजाइन एंड ले-आऊट
प्रभाकर प्रिंट हाऊस
+91 93299 60007

संपादकीय कार्यालय
31 शहीद द्वारा, आजमगढ़
उत्तरप्रदेश पिन - 276 001
संपर्क : +91 9453171770
Email : basavanindia@gmail.com
www.facebook//बसावन इंडिया
+91 945317170

संपादक : नरेन्द्र प्रताप
स्वत्वाधिकार, मुद्रक एवं प्रकाशक नरेन्द्र प्रताप के लिए स्वाभिमान प्रकाशन, शहीद द्वारा (सिविल लाईन) आजमगढ से मुद्रित कराकर 'बसावन इंडिया' हिंदी मासिक पत्रिका का कार्यालय 31 शहीद द्वार आजमगढ़ उत्तरप्रदेश - 276 001

इस अंक की झलकियां

जिसको चाहे पिछड़ा बनाए सरकार 02
आरक्षण लागू होते ही भैंस की याद दिलाई रामनरेश यादव को 06
बिहार : सामाजिक न्याय की ऊर्वर भूमि 08
राजस्थान : इंतजार किस बात का? 11
यू.पी. चुनाव : जाति का चेहरा भी देखो... 15
ओबीसी आरक्षण सरकार के रहमोकरम पर क्यों? 18
मेरी भैंस को गुस्सा क्यों आया... 23
जियो जौनपुर 25
वन्दना कटारिया : जाति नहीं मेरा खेल देखों 28
भारत के सुकरात पेरियार 30
माई से कहना, उसकी ओर मुंह करके रोऊंगी भी नहीं.. 34

04 **27 प्रतिशत वाले मुख्यमंत्रियों के रंग और तेवर**
मध्य प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत...

10 **तमिलनाडु में सामाजिक न्याय** - पिछड़े वर्गों का आन्दोलन सबसे पहले दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु में जोर पकड़ा...

14 **मुजफ्फरनगर किसान महा पंचायत**
केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों नए कृषि कानून केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए समस्या बन गए हैं...

21 **अफगानिस्तान के बिना भारत**
भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते के इतिहास में जाकर झाकें तो कहना पड़ेगा कि यदि अफगानिस्तान को अपने...

इस अंक में प्रकाशित सामग्री के आंशिक या पूर्ण रुप से पुनर्प्रकाशन के लिए लिखित अनुमति अनिवार्य है। लेखक के विचार व्यक्तिगत हैं। प्रकाशित सामग्री में दिए गए तथ्य संबंधी विवादों का पूर्ण दायित्व लेखक का है। संपादक, मुद्रक, प्रकाशक एवं सहयोगी संपादकीय टीम इसके लिए हरगिज उत्तरदायी नहीं होंगे। किसी भी प्रकार के विवाद के समाधान हेतु न्याय क्षेत्र आजमगढ़ होगा।

जिसको चाहे पिछड़ा बनाए सरकार

▪ डॉ. नरेश साहू

केन्द्र सरकार का 127वां संविधान विधेयक-2021 संसद के दोनों सदनों से सर्वसम्मति से पारित हो गया। इस बिल के खिलाफ एक भी वोट का नहीं पड़ा। इसे क्या कहा जाए समर्थन या मजबूरी। सभी राजनीतिक दल इस विषय पर केन्द्र सरकार के साथ खड़े रहे कारण कि कोई भी राजनीतिक दल इससे लाभान्वित होने वाले लोगों का शिकार नहीं होना चाहता है। परिणाम स्वरूप लोकसभा और राज्यसभा में जिस शांति के साथ विपक्ष ने इस बिल के समर्थन किया।

102वां संविधान संशोधन

केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2018 में 123वां संशोधन लाया गया जोकि 102वां संशोधन के रूप पास हुआ था, व इस संशोधन के द्वारा धारा 366 में 26 सी जोड़ा गया व केन्द्र व राज्य की अलग-अलग ओबीसी सूची बनाने का प्रावधान रखा गया, धारा 338 ए में 338 बी को जोड़ा गया व राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा 342-ए में 1 जोड़ा गया, जिसमें संघ सरकार की नौकरियों हेतु ओबीसी सूची में किसी जाति को अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया व 342 ए-2 में राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण हेतु ओबीसी सूची में किसी जाति को अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को होगा जब राज्यपाल, राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा। कई राज्य सरकारों द्वारा इसका विरोध भी किया गया ।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठो को ओबीसी सूची में अधिसूचित कर आरक्षण दिया गया जिसे सर्वोच्च न्यायालय में जयश्री लक्ष्मीराव पाटिल बनाम मुख्यमंत्री महाराष्ट्र केस में चुनौती दी गई, सर्वोच्च न्यायालय ने 102 संवैधानिक संशोधन को कोट करते हुए महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को गैर संवैधानिक मानते हुए निरस्त कर दिया व कहा कि किसी भी राज्य सरकार को ओबीसी सूची में नई जातियों के अधिसूचित करने का कोई अधिकार नहीं है, केन्द्र या राज्य सरकार की ओबीसी सूची में किसी नई जाति को अधिसूचित करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। इस मामले पर केन्द्र सरकार ने पुर्नविचार याचिका दायर की परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका निरस्त कर दिया। इससे केन्द्र सरकार द्वारा 127वें संविधान संशोधन की भूमिका तैयार हो गई और तर्क दिया जा रहा है कि राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार प्राप्त होने से केन्द्र एवं राज्यों के मध्य तल्खी मे कमी आयेगी।

अब क्या होगा?

महाराष्ट्र में मराठा, हरियाणा में जाट, गुजरात मे पटेल, कर्नाटक में लिंगायत, राजस्थान में गुर्जर समूदाय को ओबीसी में शामिल करने का रास्ता तो साफ हो जाएगा लेकिन इससे बिना आरक्षण का कोटा बढ़ाये

विष्णु दत्त बघेल
अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ पिछड़ा समाज

ओबीसी वर्ग भारत में सबसे कम वर्ग चेतना वाला वर्ग है इसीलिए उसके साथ कुछ भी खिलवाड़ कर सकते हैं। यह पूर्णतः राजनीति से प्रेरित फैसला है। यदि कुछ देना ही था तो शिक्षा में आरक्षण को सही तरीके से लागू कर देते। नौकरियों में जो आरक्षण है उसका भी कुछ अतापता नहीं है। मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुए लगभग 30 साल हो गये हैं इतने वर्षों में अखिल भारतीय सेवाओं विशेष तौर पर आईएएस-आईपीएस में ओबीसी का प्रतिशत मात्र 2 प्रतिशत बड़ा है, उसमे में अब लैटरल एंट्री का प्रावधान कर दिया है जहाँ केवल ब्राह्मण, ठाकुर और बनियों को भरा जा रहा है। लगभग 50 डिप्टी सेक्रेटरी लेबल के लोगों को भर दिया।

डॉ. रोशनलाल सोनकर
सहायक प्रोफेसर (विधि संकाय)
इलाहाबाद केन्द्रीय विश्व विद्यालय

ऐसे तो किसी को भी उठाकर ओबीसी में शामिल कर दिया जायेगा, कल को ब्राहमण आन्दोलन करेंगे तो उन्हें भी ओबीसी में शामिल कर दिया जायेगा फिर ओबीसी का मतलब क्या रह गया। न इसके लिए कोई विचार किया गया न ही कोई मंथन। लोकतंत्र में इतनी तो जगह होती है विभिन्न संवैधानिक मसलों पर विचार किया जाए जनता की राय ली जाए। बस लोक सभा और राज्य सभा में आपका बहुमत है तो मनमाने तरीके से कानून बना कर थोप देंगे। जल्दबाजी में लिया गया यह फैसला ओबीसी को बहुत भरी पड़ेगा तबतक बहुत देर हो चुकी होगी।

अनुसूचित जाति की सूची में ऐसा ही प्रयास योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा 24 जून 2017 को जारी निर्देश के अनुसार, जिन 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की बात कही गई थी, उनमें कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोडिया, मांझी व मछुआ शामिल हैं।

राज्यों की ओबीसी सूची बनाने की शक्ति बहाल हो जाने से जाति आधारित जनगणना करवाने की मांग भी फिर से ज़ोर पकड़ रही है क्योंकि देश में ओबीसी श्रेणी में आने वाले लोगों के बारे में कोई भी आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं।

बिना आंकड़ों के किसी जाति को ओबीसी सूची में शामिल कर देने से ओबीसी में सिर्फ भीड़ बढ़ेगी। ओबीसी जातियों को इसका फायदा नहीं मिल पायेगा और न ही आरक्षण का कोई मतलब रह जाएगा। इसका फायदा तभी मिल पाएगा जब 50 फीसदी आरक्षण की सीमा को समाप्त किया जाए। जिस तरीके से तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण है बाकी राज्यों को भी यह ताकत दी जाए कि वो आरक्षण की सीमा को बढ़ा सकें। जैसे ही ओबीसी की सूची में कोई नई जाति शामिल की जाए उसी अनुपात में ओबीसी आरक्षण का कोटा भी बढ़ाया जाना चाहिए। वैसे भी बिना किसी जाँच पड़ताल के कई जातियों को ओबीसी में शामिल कर दिया गया है, आज ओबीसी की मेरिट बहुत अधिक जाने लगी है।

राज्य सरकारें राजनीतिक लाभ के लिए किसी को भी ओबीसी सूची में शामिल कर देंगी। वैसे भी कई राज्यों में ओबीसी अभ्यर्थियों की मेरिट सामान्य वर्ग की तुलना में अधिक जा रही है। अब सभी राज्य सरकारें अब अपने-अपने राज्यों में अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) की सूची को संशोधित कर, नई जातियों को अधिसूचित कर सकेगी। यह बिलकुल वैसे ही होगा जैसे कई जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने का खेल लम्बे समय से चला आ रहा है।

सरकार ने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई?

महज तीन दिनों में केन्द्र सरकार ने 127वां संविधान विधेयक-2021 संसद के दोनों सदनों से सर्वसम्मति से पारित करवा दिया बिलकुल वैसे ही जैसे 10 प्रतिशत इडब्लूएस का आरक्षण। आखिर क्या कारण है की सरकार ने इस विधेयक के लिए इतनी जल्द बाजी दिखयी? जबकी ओबीसी के लिए 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग काका कालेलकर की संस्तुतियों को लागू नहीं किया। मंडल आयोग की शिफरिशे 10 वर्ष बाद लागू की जाती हैं और वो भी मात्र एक भाग लागू किया गया वो भी 27 प्रतिशत आरक्षण की शिफारिश लागू हुई। बीपी मंडल आयोग ने जो सूची बनाई थी वो तत्कालीन परिस्थियों को ध्यान में रख कर बनाई थी, जब अभी जनगणना ही नहीं हो पाई। फिर इसमें इतनी जल्दबाजी क्यों?

सांसद में बिना किसी विचार विमर्श के पारित किया गया इसके लिए ने ही कोई आयोग बना और न ही लोगों से कोई प्रतिक्रिया ली गई। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी पहले ही आरक्षण पर टिप्पड़ी कर चुके हैं कि आरक्षण का विरोध मत करो आरक्षण को इस तरह से कर दो की जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं वो खुद विरोध करें। ▪

@ ++91 9921110844

इन्होंने कहा-

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पिछड़े वर्ग को तब फायदा होगा, जब आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से ज्यादा बढ़ाई जाए और हमारी पार्टी की मांग है कि जाति के आधार पर जनगणना की जाए।

डी.एम. के सांसद दया निधि मारन ने ओबीसी बिल को उ.प्र. चुनावों की तैयारियों के रुप में देखा कहा कि मै उम्मीद करता हूं कि उ.प्र. चुनाव हर साल हो ताकि ज्यादा से ज्यादा ओबीसी मंत्री हो और अन्य राज्यों में तमिलनाडु की तरह ओबीसी आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से बढ़ा कर 69 फीसदी कर दी जाए।

27 प्रतिशत वाले मुख्यमंत्रियों के रंग और तेवर

बड़ा शोर है इस समय पिछड़े-पिछड़े का। पिछला संसद का सत्र पिछड़ों को समर्पित रहा ऐसा मानना है भारत सरकार का। जोर-शोर से बताया गया कि पिछड़ों के लिए यह सत्र ऐतिहासिक था। इसकी ऐतिहासिकता समय के साथ सिद्ध होगी। प्रधान मंत्री तो कम लेकिन पिछड़े मुख्यमंत्रियों की लंबी कतार है। इन मुख्य मंत्रियों ने अलग-अलग समय पर अपने अपने रंग और तेवर दिखाये हैं। सामाजिक न्याय विशेषकर 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर इन मुख्यमंत्रियों के तेवर और रंग देखने के बसावन इंडिया ने कई राज्यो के पिछड़ों जाती से आने वाले मुख्यमंत्रियों के तेवर की पड़ताल करने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश मे कुछ दिन पहले पिछड़ों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू हुआ जबकि शिवराज सिंह चौहान पिछड़ों जाती से हैं, और लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे पर अभी जाकर उन्होने 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया। वो भारतीय जनता पार्टी से मुख्य मंत्री हैं, और रंग उनका जग जाहीर है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान को पिछड़ा मुख्यमंत्री तो कांग्रेस पार्टी ने दिया, लेकिन 27 के लिए अभी कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा, ये न तो भूपेश बघेल और न ही अशोक गहलोत बता सकते हैं। उत्तर प्रदेश मे बहुत पहले मुलायम सिंह यादव ने 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की हिम्मत दिखाई। बिहार सामाजिक न्याय के लिए उर्वर भूमि रहा है। तमिलनाडू की अलग कहानी है तो गुजरात की एकदम अलग। कैसे और क्या-क्या हुआ, यही इस बार की कवर स्टोरी का विषय है।

मध्य प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत

पिछले कुछ महीनों से न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बल्कि केंद्र में भाजपा नीति उनकी सरकार के अधिकांश मंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को लेकर कुछ ज्यादा ही मेहरबान नजर आ रहीं हैं। इसका असर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी होता दिख रहा है। चौहान सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कुछ ज्यादा ही तत्परता दिखाई है। इसके पीछे सचमुच पिछड़ों का कल्याण करना और उन्हें समाज के अग्रिम पंक्ति में खड़ा करना है या यह सिर्फ वोट बैंक जुगाड़ने की दिखावटी खेल? यह सवाल उठना लाजिमी है, क्योंकि जिस मध्य प्रदेश में भाजपा 2003 से और शिवराज सिंह चौहान 2005 से लगातार तीन बार मुख्यमंत्री रहने के दौरान कभी ओबीसी आरक्षण को लेकर ऐसी पहल करते नजर नहीं आए। अब चौथी बार प्रदेश के सियासी मुखिया हैं, तो ओबीसी का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का "साहसिक" निर्णय लिया है।

साहसिक निर्णय इसलिए कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मार्च 2019 में इसी तरह के राज्य की तत्कालीन कांग्रेस सरकार की ओर से लागू किए ओबीसी के आरक्षण पर रोक लगा रखा है। इसके बावजूद शिवराज सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने दो सितंबर को ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का आदेश जारी किया। हालांकि हाईकोर्ट ने जिन भर्ती परीक्षाओं पर ओबीसी के आरक्षण पर रोक लगाई है, उनमें यह आदेश लागू नहीं होगा। हाईकोर्ट में करीब 70 याचिकाओं पर सुनवाई लंबित है। अगले आदेश तक चिकित्सा शिक्षा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं पर रोक बरकरार है। मामले में 20 सितंबर को सुनवाई होना है। कांग्रेस ने अपनी ओर से वकीलों का खड़ा करने की घोषणा की है।

कमलनाथ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट इंद्रा जयसिंह और अभिषेक मनु सिंघवी को हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण के पक्ष में दलील रखने के लिए बुलाया जाएगा। इसका खर्च कांग्रेस उठाएगी। कमलनाथ ने इन वकीलों से चर्चा भी की है। शिवराज सिंह चौहान पर इसका भी सियासी दबाव है।

यहां यह जान लेना जरूरी है कि मध्य प्रदेश में पहली बार 1996 में ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया था। जबकि राज्य में अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति को 20 प्रतिशत आरक्षण 1984 से मिल रहा है। करीब 25 साल पर ओबीसी को उसका वाजिब हक देने की शुरुआत हुई, तो उसमें भी सियासत और वोट बैंक का गणित राजनीतिक दलों के लिए ज्यादा अहम दिखाई देता है।

गौरतलब है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, मध्य प्रदेश की कुल 7.26 करोड़ से ज्यादा की

कमलनाथ
पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश

कांग्रेस का आरोप-
हाईकोर्ट में आरक्षण के खिलाफ कुछ याचिकाएं दायर की गईं, लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा उचित प्रस्तुति की कमी के कारण, बढ़ा हुआ आरक्षण अब तक लागू नहीं किया जा सका। अगर सरकार मजबूत पक्ष का समर्थन करती है, तो मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा।

आबादी में ओबीसी की संख्या 50.09 प्रतिशत है। 52 जिलों में से 36 में 50 प्रतिशत से अधिक ओबीसी आबादी है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकता

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश सरकार की ओर से महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने कहा कि प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आर्थिक-सामाजिक स्थिति और उनकी बड़ी आबादी को देखते हुए ओबीसी आरक्षण बढ़ाना जरूरी है। जबकि याचिकाकर्ताओं की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक किसी भी स्थिति में आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकता। राज्य में अनुसूचित जाति को 16 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति को 20 प्रतिशत आरक्षण पहले से लागू है। ऐसे में ओबीसी का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया जाता है, तो कुल आरक्षण 63 प्रतिशत हो जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है।

शिवराज सरकार का ओबीसी आरक्षण लागू करने का तर्क

हाईकोर्ट के रोक के बावजूद ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का निर्णय करने के लिए शिवराज सरकार राज्य के महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव की हाइकोर्ट में दी गई दलील को आधार बनाया है। कौरव ने कहा था कि जिन भर्ती परीक्षाओं पर रोक है, उन्हें छोड़कर अन्य सरकारी नियुक्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जा सकता है। इसमें हाईकोर्ट का आदेश आड़े नहीं आता है। हाईकोर्ट ने सिर्फ छह मामलों में ही रोक लगाई है। दूसरे मामलों में सरकार आरक्षण का फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में महाधिवक्ता और अन्य वकीलों से कानूनी सलाह भी ली है।

आखिर भाजपा को क्यों करना पड़ा ओबीसी आरक्षण लागू करने का निर्णय

मध्य प्रदेश विधानसभा के 2018 के चुनाव में भाजपा को कांग्रेस से मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा था और शिवराज सिंह की कुर्सी कांग्रेस के कमलनाथ के पाले में चली गई थी। कमलनाथ सरकार ने मार्च 2019 में ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत करने का आदेश जारी कर भाजपा के पिछड़े वर्गों के बड़े वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की थी। पिछले साल कांग्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगावत कर भाजपा से हाथ मिला लेने के बाद कमलनाथ की कुर्सी चली गई और चौथी बार शिवराज सिंह के सिर सीएम का ताज आया।

अब विपक्ष के नेता के रूप में कमलनाथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सियासी अखाड़े में शिकस्त देने के लिए घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। जब केंद्र में मोदी ने पिछड़े वर्गों से 27 मंत्री बनाने का राग जोर शोर से से छेड़ा, तो कमलनाथ ने आरक्षण के मुद्दे पर शिवराज की घेराबंदी शुरू कर दी।

मध्य प्रदेश में भाजपा के वोट बैंक में पिछड़ी जातियों का दबदबा है। ऐसे में उनकी नाराजगी भाजपा और शिवराज के लिए आने वाले समय में परेशानी का सबब न बने, इसलिए शिवराज ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने का फैसला लिया। अब अगर इसके खिलाफ भी हाईकोर्ट में याचिका आई और रोक लगी, तो शिवराज सिंह के पास बचाव के लिए तर्क तो होगा ही।

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश

शिवराज का जवाब-
कांग्रेस ने ओबीसी को छला है। वह 70 साल से गुमराह करने और धोखा देने का काम कर रही है। अब भाजपा सरकार ने फैसला किया है, तो कांग्रेस नेता झूठ के जरिए भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं।

पिछड़ा वर्ग की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति जानने बनेगा आयोग

ओबीसी को लेकर शिवराज सिंह चौहान सरकार ने एक और बड़ा दांव खेल दिया है। भाजपा सरकार ने ओबीसी को रिझाने के लिए उनकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन कराने की घोषणा की है। इसके लिए आयोग बनेगा। आयोग की सिफारिश के आधार पर सरकार पिछड़ा वर्ग के लिए नीति और कार्ययोजना तैयार करेगी। इस आयोग के गठन के माध्यम से कांग्रेस को जवाब देने की तैयारी है। क्योंकि कांग्रेस ओबीसी को आरक्षण का 27 प्रतिशत लाभ नहीं मिलने को लेकर शिवराज सरकार पर लगातार हमलावर रुख है।

मध्य प्रदेश में ओबीसी में 178 जातियां

मध्य प्रदेश में ओबीसी में कुल 178 जातियां हैं। इनमें राज्य में 92 और केंद्र में 8 6 जातियां शामिल हैं। करीब 3 दर्जन जातियां और समुदाय खुद को ओबीसी मानती हैं और आरक्षण सूची में शामिल करने की मांग करती रही हैं। इसमें ब्राह्मण वर्ग की भी जातियां हैं। ओबीसी में शामिल होने की मांग करने वाली प्रमुख जातियों में विश्नोई, किराड़ पंजाबी समाज के साथ अन्य सिख शामिल हैं। ■

आरक्षण लागू होते ही भैंस की याद दिलाई रामनरेश यादव को

देश में उत्तर प्रदेश पिछड़ों की राजनीति का केंद्र है। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। लेकिन इसमें पिछड़े वर्ग सिर्फ और वोट बैंक तक ही सीमित थी। प्रदेश में लम्बे समय तक कांग्रेसी सरकार रही। 1975 से 1977 की इमरजेंसी के बाद प्रदेश में सत्ता पलट हुई और जनता पार्टी की सरकार बनी।

23 जून 1977 को राम नरेश यादव जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश के पहले ओबीसी मुख्यमंत्री बने। राम नरेश यादव आजमगढ़ जिले के अंबारी क्षेत्र के आंधीपुर गांव से अहीर जाति से थे। वे समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत विशेष रूप से जाति तोड़ों आंदोलन से जुड़े हुए थे। अखिल भारतीय अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) रेलवे कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। राम नरेश यादव पहले पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 26 अगस्त 1977 को उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों में पिछड़ों को 15 प्रतिशत आरक्षण दिया। 13 जनवरी 1978 को एक अन्य शासनादेश के जरिए उन्होंने एससी-एसटी के तर्ज पर प्रमोशन में भी पिछड़ों को 15 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जिसके लिए उनका व्यापक विरोध किया गया। उनके खिलाफ जाति को चिन्हित करते हुए नारे लगाए गये कि राम नरेश वापस जाओ, लाठी लेकर भैंस चराओ। यह वही दौर था जब जाति से पहचान सुनिश्चित होती थी। अपने लगभग 19 महीने के कार्यकाल में उन्होंने सामाजिक न्याय को गति प्रदान किया।

राम नरेश यादव से मुलायम सिंह यादव तक के बीच सामाजिक न्याय के क्षेत्र में निर्वात (वैकुम) की स्थितियां बन गई, फिर मुलायम सिंह जनता दल से 5 दिसंबर 1989 को लगभग डेढ़ वर्षो के लिए मुख्यमंत्री बने। यह वही दौर था जब मंडल कमीशन की संस्तुतियों को लागू किये जाने को लेकर केंद्र सरकार पर बहुत अधिक दबाव था। बिहार से लालू यादव, शरद यादव, नितीश कुमार और रामविलास पासवान लगातार दबाव बनाये हुए थे। उत्तर प्रदेश से मुलायम सिंह यादव मैदान में थे। 7 अगस्त 1990 को केंद्र सरकार की नौकरियों और केन्द्रीय शिक्षा संस्थाओं में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने की घोषणा कर दी गई। मुलायम सिंह यादव ने भी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरियों में भी 27 प्रतिशत आरक्षण को लागू कर दिया। यह भारतीय राजनीति में साइलेंट क्रांति का दौर था। यूपी में मुलायम सिंह यादव पिछड़े वर्ग के सबसे बड़ा नेता बनकर उभरे। केवल अहीर ही नहीं बल्कि दूसरे ओबीसी समाज की अन्य जातियों के लोग भी उन्हें अपना नेता मानने लगे और पिछड़े वर्ग के तमाम नेता उन्हें अपना नेता मानकर नेताजी कहते थे।

मंडल कमीशन लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़े मुख्यमंत्रियों का दौर ही चला। अगले पिछड़े मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से कल्याण सिंह बने जो लोध जाति से थे। कल्याण सिंह वैसे तो भाजपा से थे लेकिन कल्याण सिंह में पिछड़ा की भावना जरुर थी, इनके समय में मुलायम सिंह द्वारा लागू पिछड़ा आरक्षण के आधार पर काफी भर्तियाँ हुई, उन्होंने मुलायम सिंह के सामाजिक न्याय के कार्यों को जारी रखा। कल्याण सिंह यह भी कहते थे कि जब तक मुलायम सिंह जितने मजबूत है, तब तक उतना ही भाजपा में मै मजबूत हूँ।

पिछड़े मुख्यमंत्रियों की अगली कड़ी में अखिलेश यादव है, जो जन्मजात पिछड़े हैं लेकिन व्यवहारिक रुप से पिछड़े मुख्यमंत्री या सामाजिक न्याय वाले मुख्यमंत्री की छवि नहीं बना पाए। इनके समय में एससी के पदोन्नती में आरक्षण खत्म किया गया और त्रिस्तरीय आरक्षण पर उनके रुख से पिछड़ों के साथ ही साथ यादव भी नाराज हुआ। शायद ये भूल गये थे बिना सामाजिक स्थिति में परिवर्तन के आर्थिक स्थिति में परिवर्तन संभव नही। अखिलेश यादव के समय में उत्तर प्रदेश में रोस्टर सिस्टम लागू हुआ। पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की मेरिट सामान्य वर्ग के अभार्थियों से अधिक जाने लगी। अखिलेश के हाथ में पार्टी की कमान आने के बाद सपा की पिछड़े वर्ग से लगातार संपर्क कम होता गया, नरेंद्र मोदी ने खुद को पिछड़ा बताकर सपा के ओबीसी वोटर्स में ज़बर्दस्त सेंधमारी की। ▪

छत्तीसगढ़ : न्याय के लिए तारीख पर तारीख

छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण से लेकर अब तक भूपेश बघेल सूबे के पहले और एक मात्र पिछड़े मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री बनते ही सामाजिक न्याय के प्रति अपना तेवर दिखाना शुरू किया और छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) के लिए आरक्षण की सीमा 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी और अनुसूचित जाति(एससी) के लिए 12 से बढ़ाकर 13 फीसदी कर दी गई। अनुसूचित जनजाति (एसटी) को पहले की तरह 32 फीसदी आरक्षण मिलने की व्यवस्था से छत्तीसगढ़ में अब कुल आरक्षण 72 प्रतिशत हो गया, जो कि सभी राज्यों से अधिक था। छत्तीसगढ़ में ओबीसी, एसटी, एससी की आबादी लगभग 95 प्रतिशत के आसपास बताई जाती है।

छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनते ही जोर-शोर से न्याय का ऐलान किया गया। किसानों, आदिवासियों, पशुपालकों, महिला समूहों के लिए जो भी योजना आई उसमें न्याय शब्द जुड़ा होता था। लेकिन भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय से ज्यादा सामाजिक न्याय पर जोर है न्याय का बिगुल बजते ही मामला जब न्यायालय में गया तो तारीख पर तारीख न्याय का इंतजार शुरू हो गया पर न्याय की हवा वहीं निकाल गई जब भूपेश बघेल को न्यायालय पहुंचाने वाले कुणाल शुक्ला को कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर स्थित कबीर शोध संस्थान का अध्यक्ष बनाना पड़ा।

जिसने उनके पिछड़े वर्गों के 27 प्रतिशत आरक्षण मामले को न्यायालय पहुँचाया। लोगों को सामाजिक न्याय देने के लिए राज्यों को ओबीसी एसटी, एससी जनसंख्या के अनुपात में व्यवस्था में भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा से आगे बढ़नी चाहिए। तभी वंचितों-पिछड़ों की सामाजिक न्याय और भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी।लेकिन मामला आगे बढ़ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि मामला कांग्रेसी पिछड़े मुख्यमंत्री का है। ▪

बिहार : सामाजिक न्याय की ऊर्वर भूमि

बिहार में सामाजिक न्याय की लम्बी श्रृंखला रही है। बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल, दरोगा प्रसाद राय, कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद यादव, नितीश कुमार और राबड़ी देवी बिहार के पिछड़े मुख्यमंत्रियों में थे जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए ,महत्वपूर्ण योगदान दिया।

बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल बिहार के पहले पिछड़े कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे हालांकि इनका कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में बहुत ही छोटा रहा लेकिन बाद में ये दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने और अपने अनुभवों के आधार पर पिछड़ों के लिए व्यापक रिपोर्ट तैयार की। बीपी मंडल के मुख्यमंत्री बनाये जाने पर बिहार में व्यापक सामाजिक प्रतिक्रिया हुई। इनसे पहले बिहार में सिंह(क्षत्रिय), झा, सहाय और सिन्हा नामधारी लोग ही मुख्यमंत्री हुआ करते थे।

बिहार में दरोगा प्रसाद दरोगा प्रसाद राय कांग्रेस से दूसरे पिछड़े मुख्यमंत्री थे, जिनका कार्यकाल बहित ही अल्पकालिक था।

बिहार के तीसरे ओबीसी मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर थे, जो नाई जाति से आते थे।सोसलिस्ट पार्टी से बिहार के मुख्यमंत्री हुए। कर्पूरी ठाकुर के नाई जाति से होने के कारण शुरूआती दिनों में बहुत अपमान झेलने पड़े थे, इन्ही सामाजिक अपमानों ने कर्पूरी ठाकुर को एक बहुत मजबूत व्यक्तित्व दिया। उन्होंने बिहार में पिछड़ों के लिए सबसे पहले आरक्षण लागू किया।बिहार में 1971 में मुंगेरी लाल आयोग गठित हुआ। आयोग ने 1975 में रिपोर्ट सौंप दी। पिछड़ा वर्ग को दो वर्गों में विभाजन किया गया। ओबीसी में 128 जातियां और एमबीसी में 93 जातियां रखी गईं। कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। तब सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण का फार्मूला बना- 8 प्रतिशत ओबीसी; 12 प्रतिशत एमबीसी; 14 प्रतिशत एससी; 10 प्रतिशत एसटी; 3 प्रतिशत महिला; 3 प्रतिशत आर्थिक रूप से पिछड़े। कर्पूरी ठाकुर ने बिहार की सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग के लिए 20 फीसदी आरक्षण का कानून बना दिया। इसके बाद केन्द्रीय सेवाओं में भी पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान की मांग उठने लगी। कर्पूरी ठाकुर का न्याय फार्मूला था कि 'अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो पग पग पर अड़ना सीखो जीना है तो मरना सीखो'

ओबीसी मुख्यमंत्रियों की अगली कड़ी में लालू प्रसाद यादव, नितीश कुमार और राबड़ी देवी है। राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के रामाजिक न्याय के फार्मूले एक ही थे। लालू प्रसाद यादव और नितीश कुमार कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक वारिस थे, इन्होंने कर्पूरी ठाकुर के सामाजिक न्याय के फार्मूले को आगे बढ़ाया। मंडल कमीशन लागू करवाने में इनकी जबरदस्त भूमिका थी। लालू प्रसाद यादव मंडल कमीशन लागू हो जाने के बाद पहले ओबीसी मुख्यमंत्री बने, वे जनता दल से मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने मजबूती के साथ बिहार में मंडल कमीशन की शिफरिशों को लागू किया। उन्होंने तमाम नए प्रयोग किए। पिछड़ों और दलितों के उत्थान के लिए लालू प्रसाद यादव ने बिहार में चरवाहा विद्यालय खोले, चरवाहा विश्वविद्यालय की उनकी योजना कार्यरूप नहीं ले सकी, आज अगर चरवाहा विश्वविद्यालय होता तो बिहार की तस्वीर कुछ और होती।

नीतिश कुमार ने बिहार में पिछड़ों के लिए लालू प्रसाद की परंपरा को आगे बढाया, उन्होंने तमाम पिछड़े वर्ग की भर्तियाँ की लेकिन भाजपा के समर्थन से मिली मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचाने के चक्कर में वे पिछडों के लिए खुलकर खेल नहीं पाए और भाजपा के मुख्यमंत्रियों की तरह व्यवहार करने लगे।

बिहार के लोगों ने सामाजिक न्याय को बहुत जल्दी समझ लिया था। बिहार अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बना। बिहार में पिछडों वर्ग के पुरुषों के लिए 27 प्रतिशत और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण लागू है। हिंदी भाषी पट्टी में बिहार एक मात्र राज्य है जहाँ की पिछड़ों के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू है। ▪

खुद के बनाए पिछड़े मुख्यमंत्री

नरेन्द्र मोदी जो अगड़ी जातियों से थे खुद के मुख्यमंत्री रहते पूरी जाति को पिछड़ा वर्ग शामिल किया। 2002 से पहले मोदी की जाति सवर्ण थी। नरेन्द्र मोदी जब प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर रहे थे तो उन्होंने कहा की वे पिछड़ी और नीच जाति से हैं। नरेन्द्र मोदी का यह सन्देश पूरे देश में गया। देशभर के तेली जाति के लोगों ने मोदी को तेली मानकर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया। नरेन्द्र मोदी तेली जाति से सम्बन्ध रखते या नहीं? इस बारे में छत्तीसगढ़ के किसान नेता और सामाजिक कार्यकर्ता रघुनंदन साहू का कहना है कि मोदी घांची जाति

के हैं। यह गुजरात में घी का व्यवसाय करती न की तेल का। घांची एक संपन्न जाति है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तेलियों और गुजरात के घांची में बहुत अंतर है। उन्हें कहीं से भी पिछड़ा नहीं कहा जा सकता है। ही आर्थिक आधार और न ही सामाजिक आधार पर वे पिछड़े हैं। 2002 में नरेन्द्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेई प्रधानमंत्री उसी दौरान अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए मोदी जी ने अपनी जाति को ओबीसी सूची में जुडवा लिया और अगड़े से पिछड़े बन गए। ▪

तमिलनाडु में सामाजिक न्याय

पिछड़े वर्गों का आन्दोलन सबसे पहले दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु में जोर पकड़ा। आजादी के बाद ही तमिलनाडु में भागीदारी/आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया था।ई वी रामासामी पेरियार ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की रक्षा का प्रावधान करने वाले, पहले संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लागू करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। पेरियार की विचारधारा सामाजिक न्याय, स्वाभिमान, तर्कवाद और समानता के विचारों पर आधारित थी। पेरियार के आत्म सम्मान आन्दोलन की परम्परा को आगे बड़ाते हुए मुख्यमंत्री के कामराज, एम करुणानिधि, एम जी रामचंद्रन ने आरक्षण को मजबूती से संभाले रखा। तमिलनाडु में सामाजिक न्याय राजनीतिक मिजाज का हिस्सा बन गया, जिस किसी को तमिलनाडु में सरकार बनानी है उसे सामाजिक न्याय देना ही पड़ेगा।

ब्राहमण जाति से सम्बन्ध रखते हुए मुख्यमंत्री जयललिता ने आरक्षण को संभाले रखा। मंडल कमीशन 1980 में आया लेकिन कांग्रेस उसे दबाए बैठी रही। वीपी सिंह ने 13 अगस्त 1990 में उसके एक हिस्से को लागू करके ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दे दिया। तमिलनाडु सरकार के लिए यह चुनौती पूर्ण स्थिति थी क्योंकि वहां एससी, एसटी और ओबीसी को मिलाकर 69 प्रतिशत आरक्षण पहले से चल रहा था। इंदिरा साहनी केस में जब कोर्ट ने 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा लगायी तो भी ऐसी स्थिति

में जयललिता ने 69 प्रतिशत आरक्षण का विधेयक तमिलनाडु विधानसभा से पारित कराया और केंद्र सरकार को मजबूर कर दिया कि संविधान संशोधन कर इस विधेयक को 9वीं अनुसूची में डाले, ताकि यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर हो जाए, इस वजह से संविधान में 76वां संशोधन हुआ।

तमिलनाडु में सामाजिक न्याय की पृष्ठभूमि पहले से तैयार थी। अब खुलकर खेलना बाकी था ऐसी स्थिति में एम के स्टालिन खुलकर बैटिंग आरम्भ की। उन्होंने तमिलनाडु ऐसी जगहों पर आरक्षण लागू किया, जहाँ लागू करना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था। स्टालिन ने तमिलनाडु के मंदिरों के दरवाजे दलितों और पिछड़ों के लिए खोल दिया। स्टालिन नीट के मुद्दे पर खुलकर सामने आए और नीट में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने की मांग की, ऐसा करने वाले वे पहले मुख्मंत्री थे, जो पद पर रहते हुए नीट आरक्षण के लिए खुलकर आये। स्टालिन ने प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को पेरियार की जयंती को "सामाजिक न्याय दिवस" के रूप में मनाने का फैसला किया है। समतावादी सिद्धांतों के प्रतीकात्मक सुदृढ़ीकरण के तौर पर हर साल उनकी जयंती पर सभी सरकारी कार्यालयों के कर्मचारी भाईचारा, समानता, स्वाभिमान और तर्कवाद जैसे ऊंचे आदर्शों पर आधारित मूल्यों का पालन करने का संकल्प लेंगे। ▪

राजस्थान : इंतजार किस बात का?

मगध में विचारों की कमी हैं
- श्रीकान्त वर्मा

The time is always right to do what is right.martin luther king

The challenge of modernity is to live without illusions and without becoming disillusioned. -- Antonio Gramsci

अशोक गहलोत राजस्थान सरकार में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। सादा जीवन जीने में यकीन रखने वाले अशोक सहज रहते हैं और राजनीति के मैदान में उतने ही चौकस रहते हैं। सरकार चलाना उनको आता हैं। इस बार के चुनाव में सचिन पायलट ने खूब मेहनत की और समझे कि बाजी जीत ली लेकिन उनको सीएम का पद नहीं मिला और जितना कुछ हुआ उसका सार यही है कि गहलोत ने उनको रगड़ दिया। वो शीत युद्ध आज भी जारी हैं। जिसका अंत अभी कहीं नजर नहीं आता।

गहलोत महात्मा फुले गांधी और मार्टिन लूथर किंग के विचारों के पथगामी हैं। उनके पास आइडिया हैं और वो उसको अपने तरीके से जमीन पर लाते रहे हैं। सामाजिक जीवन का परिवर्तन ही हर रास्ते में नया विचार पैदा करता हैं और वो एक दिन आपको वो देता हैं जो आपने अभी तक किया। राजनीति में रहते हुए अपने प्रतिपक्ष को किनारे लगाना और अपने को साध लेना बड़ी कला हैं। जो अपने को बना सकता हैं वो अपने लिए रास्ते भी बना लेता हैं। गहलोत में वो कला हैं। वो संतुलन ये यकीन रखते हैं। यही कारण हैं कि वो कोई नया करे न करे लेकिन पाँच साल अपनी सरकार जरूर चलाते हैं। उनको पता हैं सुप्रीमो क्या होता हैं। वो अपने इस धर्म में कभी कोई कमी भी नहीं करते, यही कारण हैं कि वो अपने पद पर बने हैं।

अभी हाल में जाति की गणना की बात जोर से की जा रही हैं और कई मुख्यमंत्री इसको लेकर केंद्र सरकार से मिले भी और इसकी बात की भी। 1931 के बाद जाति की कोई गणना नहीं की गई। केवल जन गणना होती है हर दस साल पर। इस बार ओबीसी की जनगणना के लिए दबाव बनाया जा रहा हैं। कई राज्यों के नेता इस पर दबाव बना रहे हैं अगर आपके पास सही अंक होंगे तो आपको योजना बनाने में सरलता रहेगी और उसका लाभ सही जगह पहुंचेगा। राजस्थान के कई नेता हैं जो इसको जानते हैं लेकिन कभी बात नहीं करते। खुद अशोक गहलोत इससे पूरी तरह से भिज्ञ हैं लेकिन वो इसको लाइट में नहीं रखते। खासकर दलित, आदिवासी, के वे सवाल जिनको काँग्रेस सही समय पर आगे ला सकती हैं लेकिन वो केवल किसी पर्व की तरह करती हैं। जब आप सब को साधते हैं तब आपको अपने को कठिन निर्णय लेने में संकट नजर आता है।

आरक्षण को भी कभी सवाल नहीं बनाया। हर कोई इसको गलत बताता हैं। जो इसके बारे में नहीं जानते वो उसको परिभाषित करता हैं। आप सामान्य स्कूल कॉलेज में जाओ- हर कोई आरक्षण को लतियाता मिल जाएगा। कारण ये है कि इस पर वो लोग बात कर रहे होते हैं जो खुद जाति में मानते हैं, जो लोग हर तरह से सही होते हैं, ये वो लोग है जो एक ही तरह की पढ़ाई करते हैं, जिनका ज्ञान इतना सीमित हैं कि उनको ये भी पता नहीं होता कि लोकतन्त्र किस चिड़िया का नाम हैं, ये वे लोग औरत को केवल उपभोग वस्तु समझते

हैं, ये वो है जो भारत की एकता की बात करते हैं लेकिन रोटी-बेटी में कोई भेद नहीं- मतलब सब अपनी जाति में, इनके लिए वो लोग तो खराब होते हैं, गंदे होते हैं, बेकार होते हैं- यही नेरेटिव इनके लिए बनाया गया। जिसको मुख्य धारा कहते हैं उसके बारे में अच्छा बुरा सब है। यही लोग है जो आपको ज्ञान देते कहीं भी मिल जाएंगे। गली-मोहल्ले कहीं भी। कॉग्रेस का वो वोटर जो जानता सब हैं लेकिन वो कभी भी अपने गोले से बाहर नहीं आता। वो पद भी लेता हैं और जाति के धर्म को भी निभाता हैं। वाम पंथ के अच्छे विचार भी अगर आज अपना प्रभाव खो रहे तो कारण यही हैं। आपने उन लोगों को आगे आने ही नहीं दिया जो सच में हकदार थे- एक दिन आप अकेले ही रह गए- फिर आपको हारना ही था।

अगर स्टालिन (तमिल नाडु के मुख्यमंत्री) कहते हैं कि हम पेरियार के विचार को लेकर चलेंगे और जिसका जो अधिकार हैं उसको देंगे तो बाकी नेता इसको क्यो नहीं समझते। अगर आपको कोई लड़ाई लड़नी हैं तो आपके पास विचार और निर्णय का साहस होना ही चाहिए। अगर हम परंपरा में हैं तो उसको भी तो रचना होता है। और वो हर बार रचनी होती हैं। झारखंड में भी वही हो रहा हैं फिर राजस्थान में क्यों नहीं।

कॉलेज तो खोल रहे हैं लेकिन वो केवल नाम से हैं- ये हर सरकार में हैं। फिर उसका क्या मतलब हैं। गुरु गोविंद विश्वविद्यालय तो खोल दिया लेकिन वो चल रहा हैं लेकिन आप क्या पढ़ा रहे हैं वैदिक ज्ञान, तंत्र ज्ञान। और बाकी वही तुलसी और रहीम। कोई नया मॉडल नहीं। हम आज भी वही पढ़ रहे हैं जो हमारे दादा पढ़ते थे। मतलब कोई नयापन नई व्याख्या नहीं। सरकारी कॉलेज में केवल नौकरी करने वाले नजर आते हैं, उनके भवन जार-जार हो रहे हैं, कभी लाइट नहीं, कभी किताबें नहीं, बाकी तो कॉलेज में आप जाओ और आओ। जब कि आधुनिकता फिर उतर आधुनिकता और उससे आगे के विमर्श आ गए। लेकिन हम वहीं रुके हैं- क्यों रुके हैं किसके लिए रुके हैं? फिर हम सोच रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा कैसे होगा। अगर हम सवाल करने वाले लोग पैदा ही नहीं करेंगे तो फिर सवाल कौन करेगा। और जब कोई सवाल ही नहीं करेगा तो फिर जो चल रहा हैं वही सही हैं।

एक तरफ पद और दूसरी तरफ स्वप्न- जिसको जितना मिल गया उतना हो गया। लेकिन जो लोग अपने और अपनों के दम पर सत्ता में आते हैं वो उलटते जरूर हैं। वही लोग इतिहास में सही साबित होते हैं। राजनीति ही अगर इसको संभव करती हैं तो बाकी भी तो उसको मदद करती हैं। इसलिए नेरेटिव बदलने के लिए आपको निर्णय लेने होते हैं। बाकी इस देश का नया नेरेटिव यही हैं कि 70 सालो में कुछ नहीं हुआ और अब न्यू इंडिया बन रहा हैं। पिछली सदी का यही समय याद कीजिये- उस समय भी नया इंडिया- अपना इंडिया बनाने के लिए त्याग चल रहा था और आज तो आप देख ही रहे हैं। इसलिय इतिहास की सही समझ होनी जरूरी हैं। हमें अपना इतिहास ही नहीं पता तो हम दूसरों का इतिहास ही पढ़ते हैं और उसको ही अपना इतिहास समझते हैं। ■

भोपाल से तेज बहादुर, बिहार से आलोक नाथ, छत्तीसगढ़ से डॉ. नरेश साहू, तमिलनाडु से डॉ. ए. सेंथिल, राजस्थान से डॉ. कालूलाल कुलमी के साथ नरेन्द्र प्रताप की रिपोर्ट।

जातीय जनगणना रिपोर्ट

सेहरी (लहिया) ग्रामसभा, अम्बेडकरनगर

आज जब की जातीय जनगणना की मांग पूरे देश में उठ रही है। विभिन्न राजनीतिक दलों और मीडिया के मनगढ़ंत आंकड़ों द्वारा प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 14 प्रतिशत ब्राहमण और ओबीसी की आबादी 42 प्रतिशत है। 40 साल पहले तैयार की गई मंडल रिपोर्ट में ओबीसी में 3743 जातियां शामिल थी और देश की कुल जनसँख्या का 52 प्रतिशत बताया गया है। मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किए जाने के बाद कई जातियों को ओबीसी में शामिल किया गया, इसके आलावा ट्रांसजेंडर को भी ओबीसी में ही शामिल किया गया। ओबीसी में जातियों की संख्या और प्रतिशत दोनों बढ़ा।

ऐसे में बसावन इंडिया रेंडमली किसी जिले की किसी एक गांव का चयन कर जातीय जनगणना की रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। कहा जाता है कि बानगी के लिए एक चावल ही पर्याप्त होता है।

बसावन इंडिया ने प्रवेशांक में आजमगढ़ जिले के भरमा-डढ़िया ग्राम सभा की जातीय जनगणना का प्रकाशन किया था। बसावन इंडिया ने अपने दूसरे अंक में संत रविदास नगर के भक्तापुर ग्राम सभा की रिपोर्ट का प्रकाशन किया। जातीय जनगणना के लिए हम गांव की नवीनतम निर्वाचन सूची को आधार बनाते है, उसी गांव के किसी व्यक्ति द्वारा जातियों को चिन्हित कर जातिवार आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं।

यदि आप अपने गांव की जनगणना रिपोर्ट का प्रकाशन चाहते हैं तो नवीनतम मतदाता सूची को आधार बनाकर बसावन इंडिया को मेल कीजिए। बसावन इंडिया की संपादकीय टीम यदि आपके गांव की रिपोर्ट का चयन करती है तो सिटिजन जर्नलिस्ट के रूप में आपको क्रेडिट देते हुए आपके फोटो के साथ आपका नाम मैगजीन में प्रकशित किया जाएगा। जातीय जनगणना की इस कड़ी में बसावन इंडिया की संपादकीय टीम ने सेहरी (लहिया) ग्रामसभा का चयन किया है। जिसकी रिपोर्ट सेहरी (लहिया) गांव के पूर्व प्रधान संजय यादव ने तैयार की है।

सेहरी (लहिया) ग्रामसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 2370 है। जिसमे चमार, अहीर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, कांहर, गड़ेरियाा, लोहार, भर, धोबी, कोंहर, तेली, कलवार, धरिकार, नाई और मुसलमान सहित कुल 15 जातियां हैं।

सेहरी (लहिया) ग्रामसभा पिछड़ा बाहुल्य है। पिछड़ी जाति के कुल मतदाताओं की संख्या 1044 है, जो कुल मतदाताओं की संख्या का लगभग 44 फीसदी है। पिछड़ी जातियों में सबसे अधिक संख्या अहीर मतदाताओं की 529 है। कांहर मतदाता 106, गड़ेरिया मतदाता 96, लोहार 91, भर 77, कोंहर 54, तेली 47, कलवार 29 और नाई 15 हैं।

जिनमे अनुसूचित जातियों में, चमार,धोबी और धरिकार है। अनुसूचित जाति के कुल मतदाताओं की संख्या 715 है, जो कुल मतदाताओं की संख्या का लगभग 30 फीसदी है। ग्रामसभा में चमारों की संख्या सबसे अधिक 616 है। धोबी मतदाताओं की संख्या 75 और धरिकार मतदाताओं की संख्या 24 है।

ग्रामसभा में सवर्ण जाति के मतदाताओं में ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं। जिनकी कुल संख्या 369 है। जो जनसँख्या का लगभग 15 फीसदी हैं। ब्राह्मण जाति के मतदाताओं की संख्या 248 और क्षत्रिय जाति के कुल मतदाता 121 है।

सेहरी (लहिया) ग्रामसभा मुसलमान मतदाताओं की संख्या 242 है जो कुल जनसंख्या का 10.21 प्रतिशत है। ■

संजय यादव
@ +91 9451300099

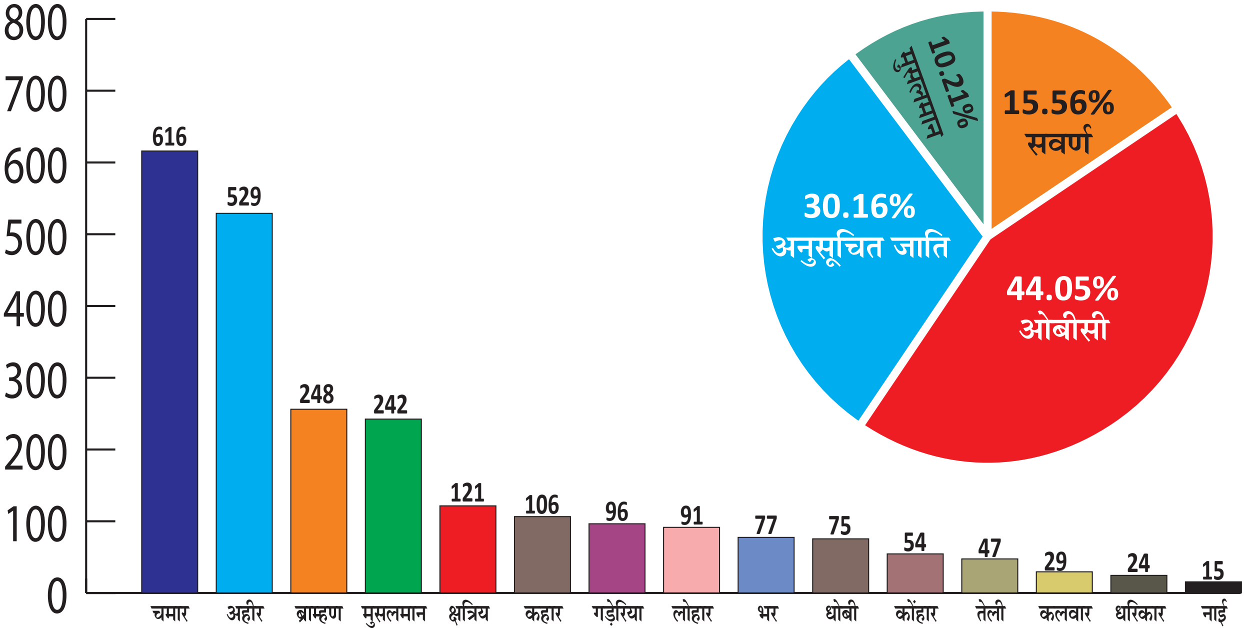

ग्राम पंचायत चुनाव मतदाता सूची 2021 के अनुसार सेहरी (लहिया) ग्रामसभा, अम्बेडकरनगर के जातिवार गणना

मुजफ्फरनगर किसान महा पंचायत

■ मैत्रेयी सिंह

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों नए कृषि कानून केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए समस्या बन गए हैं। सरकार के इन तीनों कानूनों के विरोध में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में संयुक्त किसान मोर्चे ने किसान महापंचायत की। इस महापंचायत में 300 से ज्यादा किसान संगठनों की अगुवाई में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा किया है कि ये किसानों की अब तक की सबसे बड़ी महपंचायत है। उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुड़गांव अन्य राज्यों से भी किसान भारी संख्या में महापंचायत में पहुंचे।

» छोटा पड़ गया मुजफ्फरनगर शहर

मुजफ्फरनगर की इस पंचायत को लेकर कई दिन पहले किसान अपने ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ पहुचने लगे थे। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में अचानक से इतने अधिक लोगों के आ जाने से मूल भूत सुविधाएं चरमरा गई थी। सरकार हर स्तर पर इस महापंचायत को सफल नहीं होने देना चाह रही थी लेकिन किसान अपने बुलंद इरादों के साथ डटे हुए थे। इस दौरान कई दिनों तक इलाहाबद से लखनऊ की ओर जाने वाली कई ट्रेने रद्द रही। दस फीट ऊँचा मंच लगा हुआ था। किसानों के लिए पंडाल की व्यवस्था थी लेकिन उफनाई भीड़ से पंडाल छोटे पड़ गए। किसान जोश में थे और उन्होंने शहर में लगे सीएम के बड़े-बड़े होर्डिंग को फाड़कर फेंक दिया। इस बीच करीब 2 घंटे इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई।

» क्या कहा राकेश टिकैत ने

महापंचायत में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक नहीं हटें यहां भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जमकर गरजे। कहा कि इस सरकार ने पूरे देश को बेच दिया। यह आंदोलन देश के किसानों के बूते लड़ा जाएगा।

आगे राकेश टिकैत ने कहा कि हम वो नहीं हैं, जो झोला उठाकर चल देंगे। मैं किसान हूं और किसान ही रहूंगा। आखिरी दम तक किसानों के साथ रहूंगा। किसानों के हक की लड़ाई के लिए हम हमेशा किसानों के साथ रहे हैं, और मरते दम तक किसानों की लड़ाई लड़ेंगे।

» मंच से लगे अल्लाहु-अकबर और हर-हर महादेव के नारे

किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ये लोग बांटने का काम कर रहे हैं, हमें इन्हें रोकना है। पहले देश में अल्लाहु-अकबर और हर-हर महादेव के नारे साथ-साथ लगाए जाते थे और आगे भी लगेंगे। उन्होंने भीड़ से अल्लाहु-अकबर और हर-हर महादेव के नारे भी लगवाए। उन्होंने कहा, यूपी की जमीन को दंगा करवाने वालों को नहीं देंगे। टिकैत ने कहा कि ये लड़ाई तीन काले कानूनों से शुरू हुई। 28 जनवरी को आंदोलन का कत्ल होता। हजारों की फोर्स थी, हम सैकड़ों थे, लेकिन डटे रहे। टिकैत ने कहा कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जातीं, तब तक हम वहां से हटेंगे नहीं। हम किसी भी कीमत पर वहां से नहीं जाएंगे। हमें फसलों पर एमएसपी की गारंटी चाहिए और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, तब तक पूरे देश में संयुक्त मोर्चा आंदोलन करेगा।

» जब तक नहीं वापस होगा कृषि कानून, नहीं हटेंगे दिल्ली के बॉर्डर से

उन्होंने कहा कि पूरे देश का निजीकरण हो रहा है। ऐसे में रोजगार के साधन खत्म हो रहे हैं। यह लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं, बल्कि नौकरीपेशा, मजदूर, मेहनतकश समेत सभी वर्गों की है। टिकैत ने स्पष्ट कह दिया है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे, वह दिल्ली के बॉर्डर से नहीं हटेंगे। चाहें हमारी कब्रगाह ही बॉर्डर पर क्यों न बनानी पड़े। इसके लिए सरकार को वोट की चोट देनी होगी। लड़ाई किसानों समेत सभी वर्गों के दम पर लड़ी जाएगी।

योगेंद्र यादव
स्वराज अभियान

स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि सौ सुनार की, एक लोहार की। आज किसानों ने जवाब दे दिया सबको। जो कह रहे थे कि ये आंदोलन ढीला पड़ गया है। आज किसानों की भीड़ से मुजफ्फरनगर शहर ही छोटा पड़ गया। इस सरकार ने जाति के नाम पर तोड़ने की कोशिश की। पहली बार मंत्रिमंडल में जाति गिनाई गई। इसी मुजफ्फरनगर में खून की नदियां बहाईं। तुम तोड़ोंगे, हम जोड़ेंगे।

» उत्तर प्रदेश के 2022 चुनावों के लिए खतरे की घंटी है महापंचायत

2022 में देश के पांच राज्यों में चुनाव होने है। इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण चुनाव उत्तर प्रदेश का चुनाव है। इस महा पंचायत से सरकार के माथे पर बल जरुर पड़ा होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लगभग 109 जाट बाहुल्य सीटों पर इस पंचायत का असर जरुर होगा। अब लड़ाई "मिशन यूपी" और "मिशन उत्तराखंड" की नहीं, बल्कि देश को बचाने की है। ■

@ +91 9453790069

यू.पी. चुनाव : जाति का चेहरा भी देखो...

▪ बसावन इंडिया डेस्क

देश के पांच राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव होने है जिसमे से सबसे महत्वपूर्ण चुनाव उत्तर प्रदेश का है। मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार के पांच वर्ष पूरे हो जाएंगे। मौजुदा सरकार और विपक्षी दलों द्वारा 2022 के चुनावों की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। चुनावों में कानून व्यवस्था, विकास कार्य, भ्रष्टाचार तो मुद्दे होंगे ही लेकिन इससे अधिक महत्व जातीय समीकरणों का है। चुनावों के लिए नए समीकरण बनाने के प्रयास जारी हैं। भाजपा, सपा और बसपा अपना अपना जातीय चेहरा चमकाने पर लगे हैं।

सत्ताधारी भाजपा में हर जाति का चेहरा दिखाने की सफल कोशिश चल रही है। चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो या इतिहास को संवारने की कोशिश इसी को देखते हुए मेजर ध्यानचन्द्र के नाम पर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा की गई। भाजपा पिछड़ी जातियों में कोइरी और कुर्मी प्रमुखता से दिखाने का प्रयास हो रहा है, कोइरी चेहरे में भाजपा के साथ केशव प्रसाद मौर्य के आलावा स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी पुत्री संघमित्रा जो कोइरी वोटों को खींचेगा हैं। कुर्मी चेहरे में अनुप्रिया पटेल के आलावा स्वतंत्रदेव सिंह हैं। भाजपा के अहीर चेहरों में गिरीश यादव जौनपुर से हैं, बड़े स्तर पर भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ को लोकसभा चुनाव में स्थापित करने की कोशिश की गयी लेकिन सफलता नही मिली।

सपा के जातीय चेहरों में अहीरों की प्रधानता है जो क्षेत्रीय स्तरों पर प्रभावी है इसके आलावा आजमगढ़ में दुर्गा प्रसाद यादव, जौनपुर में शैलेन्द्र यादव ललई का प्रभाव है। गाजीपुर क्षेत्र में मुख़्तार अंसारी के बड़े भाई सिबगतुल्ला सपा शामिल हो कर मुस्लिम चेहरा बने। सपा के अन्य ब्राहमण चेहरों में पवन पांडेय और अभिषेक मिश्रा हैं।

बसपा का ब्राह्मण चेहरों के प्रति लाड अधिक है। बसपा से बड़े पैमाने पर जमीनी नेताओं का पलायन हुआ, दद्दू प्रसाद बुन्देलखंड क्षेत्र से बसपा के बड़े चेहरे हुआ करते थे, लालजी वर्मा और राम अचल राजभर के बसपा से निकाल दिए जाने से पार्टी में कोई बड़ा कुर्मी और राजभर नेता नही रह गया है, रामअचल राजभर के स्थान पर भीम राजभर को लाया गया है।

प्रदेश में चौथे नम्बर की पार्टी कांग्रेस तीसरे स्थान के लिए संघर्ष करते हुए अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में बडी संख्या में युवाओं को अहम जिम्मेदारी देकर चुनाव में होगी।

हर पार्टी इस समय नकाब के अन्दर चाहे जैसी हो लेकिन दिखावटी चहरे और मुखौटे लगाने पर बराबर जोर देती रही। 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनावों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से इस दलों द्वारा जातीय समीकरणों को साधने के लिए अपने अपने चेहरों को साफ करने का प्रयास किया जा रहा है। इन दलों के ऐसे जातीय चेहरे जिनपर फिर से दाव लगाया जा रहा है। जिनको लेकर चुनाव में उतरने वाली हैं -

भाजपा के चेहरे...

नरेन्द्र मोदी

जाति से बनिया, ओबीसी होने का दावा करते हैं। पहले सामान्य वर्ग में थे बाद में इनकी जाति ओबीसी में शामिल कर ली गई। नीच जाति का कह कर बनिया और ओबीसी को पक्षधर बनाने में सबसे बड़े चेहरे के रुप में होंगे।

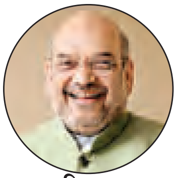
अमित शाह

अमित शाह स्वयं के वैष्णव हिन्दू होने का दावा करते है जबकि कुछ लोग उन्हें जैन धर्म का बताते है। ये भी बनिया वर्ग से आते है और अपने कट्टर हिन्दुत्ववादी विचारों से वोटरों को खूब लुभाते हैं।

योगी आदित्यनाथ

जाति से क्षत्रिय, कट्टरवादी हिन्दू विचारों के चलते हिन्दू वोटरों का ध्रुवीकरण करने में सफल हो जाते है। क्षत्रियों के सबसे बड़े नेता है। थानों में ठाकुरो की नियुक्ति ट्रांसफर पोस्टिंग के कारण विवादों में रहे।

दिनेश शर्मा

उ.प्र. कें भाजपा का ब्राम्हण चेहरा। विभिन्न भर्तियों में आरक्षण की अनदेखी और ब्राम्हणों को वरियता देने से इनकी छवि खराब हुई है। इनके समय में शिक्षक भर्ती परिक्षा में बड़े पैमाने पर घोटाले के आरोप लगे।

केशव प्रसाद मौर्य

पिछड़ी जाति के प्रमुख नेता के रूप में भाजपा में विशेष स्थान, पिछले चुनावों में मुख्यमंत्री पद के संभावित दावेदार के रूप में कोइरी बिरादरी का सम्पूर्ण वोट पाने में सफल रहे। 2022 के लिए अन्य सजातीय नेताओं के भाजपा में आ जाने से कद में कटौती के बावजूद जिताऊ नेता इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य का चेहरा कोइरी वोट खींचेगा।

भूपेंद्र चौधरी

भाजपा के जाट नेता और कैबिनेट मंत्री, 2017 में पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट वोटरों का भाजपा के साथ जोड़ने में सफल रहे लेकिन तीन नये कृषि कानूनों के चलते हुए नुकसान के चलते एक बार फिर से जाट वोटरों को भाजपा से जोड़ने की जिम्मेदारी।

अनुप्रिया पटेल

अपना दल की प्रमुख, भाजपा के सहयोगी दल के रूप में कुर्मी वोटरों को जोड़ने की विशेष जिम्मेदारी। मिर्जापुर सोनभद्र और बनारस के कुर्मियों गहरा प्रभाव।

एस पी सिंह बघेल

एसपी सिंह बघेल गड़ेरिया से है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गड़ेरिया जाति में गहरी पैठ वाला नेता माना जाता है। चुनाव के मद्दे नजर गड़ेरिया, वोटरों को लुभाने के लिए इन्हें केन्द्र में मंत्री मंडल मंडल विस्तार कर अहम जिम्मेदारी दी गई है और गड़ेरिया चेहरे के रुप में प्रस्तुत किया गया।

सपा के चेहरे...

मुलायम सिंह यादव

समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक, उत्तर प्रदेश के ओबीसीओं में गहरी पैठ रही है। अपने राजनीतिक समीकरणों की बदौलत पार्टी को एक बेहतर मुकाम पर ले जा पाने में सफल रहे।

अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, साफ सुथरी राजनीतिक छवि लेकिन सामाजिक न्याय के क्षेत्र की अनदेखी करने के कारण सत्ता से दूर रहे।

रामगोपाल यादव

समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक कहे जाते हैं लेकिन वोटरों में कोई विशेष प्रभाव नही। मुलायम सिंह यादव परिवार के होने के कारण पार्टी में प्रभाव।

रमाकांत यादव

पूर्व सांसद और कुशल राजनीतिक रमाकांत यादव का आजमगढ़ सहित पूर्वांचल क्षेत्र के अहीरों में विशेष प्रभाव है। अपने सामाजिक न्याय के विचारों के कारण हमेशा चर्चा में रहते हैं।

आजम खान

समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुस्लिम चेहरे, अपनी स्पष्टवादिता और बेबाक टिप्पड़ियों के लिए जाने जाते हैं। मुस्लिम वोटरों को सपा के प्रभावित करेंगे।

नरेश उत्तम पटेल

समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी का कुर्मी चेहरा। कुर्मियों को सपा से जोड़ने के लिए पार्टी में अहम जिम्मेदारी दी गई है।

माता प्रसाद पाण्डेय

पूर्व विधान सभा अध्यक्ष और सपा के प्रमुख ब्राह्मण नेता, अपने पिछले कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में विधानसभा भर्तियों में सजातीय लोगों का खूब चयन करने के कारण ओबीसी वर्ग और एससी में आलोचना का कारण बने।

इन्द्रजीत सरोज

बसपा छोड़ कर सपा में आये प्रमुख पासी नेता, समाजवादी पार्टी में पासी वोटरों को जोड़ने में मदद मिल सकती है।

बसपा के चेहरे...

मायावती

बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। पूर्व में दलित वोटरों में विशेष पकड़ रही है लेकिन दलितों के उत्पीडन के मुद्दों और 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद सार्वजनिक मंचों पर न आने से दलित वोटरों में इनके प्रति हतासा और निराशा का भाव है। अपने परम्परागत वोटरों की उपेक्षा और प्रबुद्ध सम्मलेन (ब्राहमण सम्मलेन) लोगों का इनके प्रति विश्वास घटा है।

सतीश मिश्र

सतीश चंद्र मिश्रा बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। पेशे से वकील रहे है और वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं। मायावती के बेहद खास नेताओं में से एक सतीश मिश्रा बहुजन समाज पार्टी के अखिल भारतीय महासचिव के रूप में भी कार्यरत हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख ब्राहमण चेहरा, बसपा के ब्राहमण तुष्टिकरण के नीति के चलते बसपा में प्रमुख स्थान प्राप्त है।

आनंद

बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे और बसपा के युवा चेहरा, जिन्हें बसपा का अगले वारिस के रूप में देखा जा रहा है। यदि बसपा 2022 के चुनावों में कुछ बेहतर करके किसी दल के साथ सरकार बनती है तो इन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है।

भीम राजभर

पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजभर वोटरों को लुभाने के लिए बसपा के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष बनाये गये है। बसपा सुप्रीमो के इस कदम को यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है।

चौथे नम्बर की पार्टी कांग्रेस सोनिया राहुल, प्रियंका और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में तीसरे स्थान के लिए जद्दोजेहद करते हुए। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और कई युवा चेहरों के सहारे अपनी नैया पार लगाने की जुगत में है। अजय कुमार लल्लू ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनकी जाति उजागर नहीं हुई।

ये चेहरे भी है...

चन्द्र शेखर आजाद रावण

भीम आर्मी संगठन के प्रमुख एवं युवा दलित नेता, दलितों और पिछड़ों के मुद्दों पर जुझारू रवैया रखते हैं।दलितों के शोषण और आरक्षण के मुद्दे पर कई आन्दोलन किये हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटव वोटरों में गहरा प्रभाव है।

शिवपाल यादव

प्रसपा प्रमुख और पूर्व मंत्री, समाज वादी पार्टी को स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शिवपाल यादव जमीनी स्तर के नेता माने जाते है। पश्चिम से पूर्व तक अहीर के वोटरों को इनसे भावनात्मक लगाव जिसके चलते ये बडी संख्या में वोटरों को प्रभावित करते हैं।

असादुद्दीन ओवैसी

भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भड़काऊ भाषण देने के लिए चर्चा में रहते हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने पर केस दर्ज लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। भाजपा के बी टीम के सदस्य माने जाते हैं।

ओम प्रकाश राजभर

पिछला चुनाव भाजपा के सहयोगी दल के रूप में लादे थे पूर्वांचल के राजभरों में अच्छा खासा प्रभाव। अपनी बेबाक और तल्ख टिप्पड़ी के लिए जाने जाते है।

ये वो चेहरे हैं जो स्वतंत्र रूप में तो नहीं लेकिन किसी पार्टी से मिलकर 2022 के चुनाव में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। ■

ओबीसी आरक्षण सरकार के रहमोकरम पर क्यों?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर दूरदर्शी थे, जो उन्होंने दलितों (अनुसूचित जातियों-जनजातियों) के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान में ही करा दिया था, क्योंकि वह जानते थे कि अगर दलितों के आरक्षण का प्रावधान संविधान में नहीं हुआ, तो आने वाली सरकारें उसे समाप्त कर सकती हैं। वह जानते थे कि सरकारें बदलती रहती हैं, पर देश का बहुमत हमेशा साम्प्रदायिक और जातिवादी रहता है, जो नहीं बदलता।

▪ **कँवल भारती**

लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान संविधान में इसलिए नहीं हो सका, क्योंकि पिछड़ी जातियों की पहचान नहीं हो पाई थी। ओबीसी के कुछ नासमझ लोग इसके लिए डॉ. आंबेडकर को दोष देते हैं। एक नासमझ ने तो फेसबुक पर लिखा भी है कि 'बाबासाहेब ही क्यों नहीं संविधान में ओबीसी आरक्षण डाल दिए?' ऐसे लोगों को नहीं मालूम कि जिस तरह दलित जातियों की पहचान ब्रिटिश सरकार द्वारा 188 1 और 1901 में जनगणना कराकर कराई गई थी, वैसी कोई पहचान पिछड़ी जातियों की नहीं कराई गई थी। दलितों की पहचान के लिए अस्पृश्यता और कुछ सामाजिक-धार्मिक मान्यताओं को मापदंड बनाया गया था, जिनमें उनके द्वारा गोमांस खाना भी एक मापदंड था, किन्तु ऐसी कोई पहचान पिछड़ी जातियों की नहीं थी, जिसे मापदंड बनाया जाता। वह शिल्प और उत्पादन से जुड़ा वर्ग है। वह वर्णव्यवस्था के अंदर शूद्र वर्ण है, इसलिए वह सवर्ण वर्ग भी है। अंग्रेज सरकार में भी पिछड़ी जातियों का कोई दबाव सरकार पर नहीं था। दलितों की पहचान इसलिए आसान थी, क्योंकि उनके साथ अस्पृश्यता जुड़ी हुई थी। सोचिए, अगर अंग्रेज सरकार ने दलितों की पहचान और जनसंख्या का पता नहीं लगाया होता, तो शायद ही आजाद भारत की सरकार यह जनगणना कराती और दलितों को कोई लाभ मिल पाता। जिस सरकार की रूचि जातिवार जनगणना करने में नहीं है, और जो आरक्षण खत्म करने में रूचि रखती है, उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है?

लेकिन यह कहना गलत होगा कि अंग्रेजी राज में पिछड़ी जातियों में जागृति नहीं आई थी। चन्द्रिका प्रसाद जिज्ञासु के अनुसार अनेक पिछड़ी जातियों के संगठनों ने पिछड़ी जातियों की उन्नति के लिए अनगिनत मांगपत्र और प्रस्ताव अंग्रेजी सरकार को दिए थे। किन्तु गाँधी ने उन्हें यह कहकर शांत कर दिया था कि इस तरह के आंदोलनों से स्वराज की लड़ाई कमजोर पड़ जायेगी। गाँधी के इस आश्वासन पर, कि स्वतंत्रता मिलने के बाद स्वराज में सबसे पहले पिछड़ी जातियों की उन्नति के लिए ही किया जायेगा, पिछड़े वर्ग के नेताओं ने आन्दोलन स्थगित कर दिया था। किन्तु स्वतंत्रता के बाद स्वराज सरकार ने उनके साथ धोखा किया।

हालाँकि डॉ. आंबेडकर स्वतंत्र भारत के संविधान में धारा 340 जोड़ने में सफल रहे थे, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति एक कमीशन नियुक्त करेंगे, जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अतिरिक्त, उन जातियों की पहचान करेगा, जो शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में पिछड़ी हुई हैं। यह कमीशन संविधान लागू होने के तुरंत बाद बनना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस-सरकार ने पांच साल बाद 1953 में पिछड़ा वर्ग कमीशन नियुक्ति किया, जिसके अध्यक्ष काका कालेलकर थे। इस कमीशन ने 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें लगभग चार हजार पिछड़ी जातियों की पहचान की गई और उनकी उन्नति के लिए सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में अनेक सिफारिशें की गईं, लेकिन सरकार ने इस रिपोर्ट पर विचार तक नहीं किया और उसे कूड़ेदान में डाल दिया। दूसरा कमीशन नियुक्त होने में 24 साल लग गए। यह भी जनांदोलनों के दबाव में बना। यह दूसरा कमीशन 1979 में बी.पी. मंडल की अध्यक्षता में मोरारजी देसाई सरकार ने नियुक्त किया, जो मंडल कमीशन के नाम से इतिहास में दर्ज है। मंडल कमीशन ने 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पिछड़ी जातियों की 52 प्रतिशत आबादी को मानते हुए उनके लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की गई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने मंडल की रिपोर्ट को भी लागू नहीं किया। उसे दस साल बाद 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने लागू किया। इस प्रकार पिछड़ी जातियों को आरक्षण का अधिकार मिलने में चालीस साल

लग गए। लेकिन तब भी किसी सरकार ने उसे संविधान में संशोधन करके संविधान का अंग नहीं बनाया। इसलिए यह कहना गलत न होगा कि ओबीसी का आरक्षण सरकारों के रहमोकरम पर चल रहा है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अगर कांशीराम ने मंडल की सिफारिशों को लागू करने की लड़ाई नहीं लड़ी होती, तो बी.पी. सिंह भी उसे लागू करने वाले नहीं थे।

लेकिन दिलचस्प यह है कि जैसे ही मंडल की सिफारिशें लागू हुईं, और पिछड़ी जातियों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा हुई, कांग्रेस और भाजपा ने उसके खिलाफ पूरे देश में कोहराम मचा दिया। पूरे देश में बहुजन छात्रों को मारा-पीटा गया, कालेजों में सवर्ण छात्रों से आत्मदाह कराए गए और रातों-रात वीपी सिंह को देश-द्रोही बनाने का माहौल तैयार कर दिया गया। भाजपा और आरएसएस की सारी भुजाएं मंडल के खिलाफ पड़कों पर आतंक मचाने लगीं. वीपी सिंह की सरकार गिरा दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगा दी। इसी समय मंडल को दबाने के लिए कमंडल आन्दोलन खड़ा कर दिया गया। लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात के काठियावाड़ से रामरथ यात्रा आरम्भ कर दी, जिसे बिहार में लालू प्रसाद यादव ने रोका. यह दंगा-रथ था, जिसने देशभर में साम्प्रदायिक उन्माद भड़काकर दंगे कराए। अगर आप उन दिनों के अखबार पलटेंगे, तो आडवाणी का यह बयान आपको मिल जायेगा, कि हमने इसलिए रथ यात्रा निकाली, क्योंकि मंडल को लागू कर दिया गया।

एक और बात इस आन्दोलन में दिलचस्प है कि पिछड़ी जातियों के आरक्षण के खिलाफ यह उन्माद भाजपा और आरएसएस ने पिछड़ी जातियों के नेताओं और छात्रों से ही शुरू कराया। कल्याण सिंह, विनय कटियार, उमा भारती जैसे पिछड़ी जातियों के नेता इस मंडल-विरोधी कमंडल आन्दोलन के नायक बने हुए थे। इन्हीं के द्वारा यह नारा लगवाया गया–'गर्व से कहो हम हिंदू हैं.' अर्थात स्वयं को हिंदू कहो, पिछड़ा मत कहो. इस आन्दोलन की परिणिति बाबरी मस्जिद विध्वंस में हुई।

इससे भी बड़ी दिलचस्प बात यह है कि 'गर्व से कहो हम हिंदू हैं' का यह नारा पिछड़ी जातियों को ऐसा पसंद आया कि वे धीरे-धीरे उसी भाजपा और आरएसएस के फोल्ड में जाकर हिंदू बन गईं, जिसने उनके अधिकारों के खिलाफ पूरे देश में आतंक मचा दिया था।

एक और दिलचस्प बात यह भी है कि पिछड़ी जातियों के नेता अब भी नीट में आरक्षण लागू होने की घोषणा पर प्रधानमंत्री मोदी की जयजयकार कर रहे हैं। जो आरक्षण पिछले चार साल से नीट में रुका हुआ था, उसे ये चार साल तक तमाशाई की तरह देखते रहे। उन्हें यह नहीं दिखाई दिया कि अगर नीट में आरक्षण खत्म न किया गया होता, तो पिछले चार सालों में ओबीसी के सोलह हजार छात्र डाक्टर बनकर निकलते। क्या ओबीसी कोटे के ये सोलह हजार पद मोदी सरकार ने द्विजों की झोली में नहीं डाल दिए? क्या यह ओबीसी नेताओं की अकर्मण्यता नहीं है?

ओबीसी नेताओं की अकर्मण्यता तो यह भी है कि भारत के केन्द्रीय विश्विद्यालयों में ओबीसी के लिए आरक्षित सहायक प्रोफेसरों के हजारों पद खाली पड़े हुए हैं। वे अगर सांसद हैं, मंत्री हैं, तो समुदाय के प्रति अपना दायित्व क्यों नहीं निभाते? क्या सिर्फ अपनी मुक्ति के लिए ही ये नेता राजनीति में आए हैं?

अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर अब भी ओबीसी समुदाय और उनके नेता सरकार पर दबाव बनाएँ, तो संविधान में ओबीसी आरक्षण का प्रावधान जरूर हो सकता है। ओबीसी संगठनों को अब इसी दिशा में अपना आन्दोलन चलाना होगा, वरना सरकारों के रहमोकरम पर आरक्षण चलने वाला नहीं है। ▪

@ +91 9412871013

सवर्ण आरक्षण (ईडब्ल्यूएस) की घुसपैठ

भारत के संविधान में आरक्षण का आधार समाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन है लेकिन 2019 में मोदी सरकार ने संविधान संशोधन कर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया। वास्तव में यह आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए नहीं बल्कि सवर्ण वर्ग के लोगों के लिए किया गया है। क्योंकि इस आरक्षण का लाभ अनुसुचित जाति अनुसुचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग को नहीं मिलेगा, भले ही इस वर्ग के लोग गरीबी रेखा के नीचे हीं जीवन यापन क्यों न कर रहे हों।

जब सवर्ण के अलावे किसी और वर्ग को इस आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता तो इसे सवर्ण आरक्षण कहना ज्यादा उचित होगा। यह आरक्षण अगस्त 2019 के बाद की रिक्तीयों पर ही लागू होनी चाहिए मगर यह सर्वविदित है कि बहुत सारे विभागों की रिक्तियाँ पिछले कई वर्षों से भरी नहीं जा सकी है औरअब ये रिक्तियाँ एक साथ सभी को सामेकित करके भरी जा रही है। इन रिक्तियों में जो 2019 के पूर्व की है उसमें भी आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) को आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है।

ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि रिक्तियों में कोटिवार गणना के लिए वर्षवार रोस्टर क्लीयरेंस नहीं किया जाता है। यदि वर्षवार रिक्तियों का रोस्टर क्लीयरेंस किया जाता तो 2019 के पूर्व की रिक्तियों में सिर्फ एसटी, एससी, ओबीसी की रिक्तियाँ ही रोस्टर से प्राप्त होती और 2019 के संविधान संशोधन के उपरांत आने वाली रिक्तियों में ही एसटी, एससी, ओबीसी के साथ ईडब्ल्यूएस की रिक्तयाँ निकाली जाती। इस प्रकार 2019 के बाद की रिक्तियों में ही ईडब्ल्यूएस की मान्यता होनी चाहिए लकिन अगर 2019 के पूर्व की रिक्तियों पर भी ईडब्ल्यूएस की रिक्तियों की गणना की जाती है तो यह असंवैधानिक है।

हाल ही में बिहार सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं अधिनस्थ अंगिभूत महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के 4638 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया और इसमें कोटिवार आरक्षण भी दिया गया है। जिसमें कहा गया है कि आरक्षित सीटों की गणना में आरक्षण रोस्टर का सही से पालन किया गया है। लेकिन अगर देखा जाय तो इन कुल रिक्तियों में पिछड़ा वर्ग के लिए 344 रिक्तियाँ जबकी ईडब्ल्यूएस यानि सवर्ण को 309 रिक्तियाँ प्राप्त हैं जो कि पूर्णतः नाइंसाफी है। क्योंकि बिहार में 2014 के बाद सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति ही नहीं हुई है। यानि एसटी, एससी, ओबीसी की नियुक्तियाँ 2014 से 2019 तक वर्षवार जमा है लेकिन अगर देखा जाय तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण 2019 में लागू हुआ है इसके अनुसार ईडब्ल्यूएस को केबल 2019 में रिक्त हुए पदों पर ही आरक्षण मिलना चाहिए। 2019 से पहले जो पद रिक्त हुए हैं उस पर ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देना पूर्णतः बेइमानी है।

जब शिक्षा विभाग से सूचना अधिकार के तहत 2010 से 2019 तक प्रत्येक वर्ष किस वर्ग का कितना पद रिक्त हुआ है इसका वर्षवार रोस्टर क्लीयरेंस एवं रोस्टर पंजी दोनों मांगा गया तो शिक्षा विभाग ने जबाब दिया कि यह सूचना उसके पास नहीं है। इसलिए इस आरटीआई को बिहार के सभी विश्वविद्यालयों को भेज दिया गया है। विश्वविद्यालय वर्षवार रोस्टर क्लीयरेंस एवं रोस्टर पंजी उपलब्ध करायेंगें। लेकिन किसी भी विश्वविद्यालय ने न रोस्टर पंजी दिया नहीं वर्षवार रोस्टर क्लीयरेंस। सभी विश्वविद्यालयों में से केवल 5 विश्वविद्यालयों ने गोलमटोल जबाब देकर दिग्भ्रमित किया है। इन जबाब देने वाले विश्वविद्यालयों में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय ने वर्षवार रोस्टर क्लीयरेंस एवं रोस्टर पंजी की जगह विषयवार अधियाचित पदों का विवरण पत्र भेज दिया। इन अधियाचित पदो के विवरण से स्पष्ट हो रहा है कि जिन विषयों में 10 से कम रिक्तियों हैं वहाँ भी ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया जा रहा है। जबिक ईडब्ल्यूएस को आरक्षण वहीं मिलना चाहिए जहां 10 से ज्यादा पद रिक्त हों। इसे हम सवर्ण आरक्षण की घुसपैठ भी कह सकते हैं।

इसी प्रकार कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय दरभंगा ने आरटीआई के जबाब में सूचना दिया है कि विश्वविद्यालय द्वारा मात्र 2020 में ही आरक्षण रोस्टर क्लीयरेंस कराई गयी है इसका मतलब है कि 2014 से 2019 तक जो एससी, एसटी, ओबीसी की रिक्तियाँ जमा है उन सभी रिक्तियों में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया है जो कि ईडब्ल्यूएस द्वाराएससी, एसटी, ओबीसी के सिटों के हकमारी को प्रदर्शित करता है। सभी विश्वविद्यालय वांछित सूचना देने से बच रहे हैं क्योंकि कमोवेश सभी विश्वविद्यालयों में एससी, एसटी, ओबीसी के रिक्तियों पर कब्जा किया जा रहा है।

वास्तविकता तो यह है कि बिहार के उच्च शिक्षा विभाग के पास ही सभी विश्वविद्यालयों का वर्षवार रोस्टर क्लीयरेंस एवं रोटर पंजी होना चाहिए। अगर यह नहीं है तो कोटिवार रिक्तियां कैसे तय की गई है और इसका आधार क्या है। 2019 के पूर्व की रिक्तियों पर सवर्ण आरक्षण (ईडब्ल्यूएस) नहीं दिया गया तो इनके रिक्तियों की संख्या 309 कैसे हो गई जबकि ओबीसी के 6 वर्षो के जमा पदों की संख्या मात्र 344 है।

आखिर सभी विश्वविद्यालय आरटीआई का सही जबाब देने से क्यों बच रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाय तो यह सवर्णवादी वर्चस्व को दर्शाता है। क्योंकि सवर्ण आरक्षका मामला अभी उच्चतम न्यायालय में लंबित है। अब सबाल उठता है कि जो मामला कोर्ट में है बिना निर्णय के कैसे लागू कर दिया गया। एक तो सवर्ण आरक्षण जिसका प्रतिनिधित्व सुनिश्चत करने से लेना देना नहीं है दूसरे यह अन्य वर्गो के प्रतिनिधित्व में भी घुसपैठ कर रहा है। ▪

संजय कुमार, कहलगाँव, बिहार

अफगानिस्तान के बिना भारत

▪ विनय कुमार

आखिरकार 31 अगस्त को अमेरिकी सेना के अंतिम तीन सी-17 विमानों ने देर रात काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी और इसके साथ ही अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य अभियान का अंत हो गया। 19 साल 10 महीने 10 दिन के बाद देर रात आखिरी विमान उड़ा। काबुल छोड़ने वाले आखिरी अमेरिकी विमान के उड़ान भरने के साथ ही तालिबानी लड़ाके जश्न में डूब गए जम कर फायरिंग की जिसकी आवाज टेलिविजन के जरिए दुनिया ने देखी और सुनी भी। अमेरिकी सेना के काबुल एयरपोर्ट से निकलने के बाद तालिबान के नेताओं ने एयरपोर्ट पर फ़ौजी लिबास पहने अपने लड़ाकों को संबोधित करते हुए उन्हें "आज़ादी" के लिए बधाई दी। तालिबान प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा, हमें आपकी कुर्बानियों पर नाज़ है, ये आपके और आपके नेताओं ने जो मुश्किलें सही हैं उसी की बदौलत हो सका है। ये हमारे नेताओं की ईमानदारी और सब्र का नतीजा है कि आज हम आज़ाद हैं। मुजाहिद ने कहा, "मैं आपको और अफगानिस्तान को बधाई देता हूँ। हम मनाते हैं कि हमारे देश पर फिर कोई हमला ना हो। हम सुख, समृद्धि और सच्ची इस्लामी व्यवस्था चाहते हैं। "उन्होंने साथ ही तालिबान लड़ाकों से कहा कि वो अफगानिस्तान के लोगों के साथ "शराफ़त से पेश आएँ"।

भारत से सटे अफगानिस्तान का मानचित्र उन्नीसवीं सदी में तय हुआ। सिकंदर के आक्रमण के समय 327 ईसा पूर्व अफगानिस्तान में फारस के हखामनी शाहों का शासन था। उसके बाद के ग्रेको-बैक्ट्रियन शासन में बौद्ध धर्म लोकप्रिय हुआ।मध्यकाल में कई अफगान शासकों ने दिल्ली की सत्ता पर अधिकार किया। इसमें लोदी वंश का नाम प्रमुख है। इसके अलावा और कई मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अफगान शाहों की मदद से भारत पर आक्रमण किया। हालांकि उस समय का अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के भी अंग थे।भारत में पहला आक्रमण अफगानिस्तान पर ही हुआ।इसके बाद यहीं हिंदुकुश के अलग-अलग दर्रों से आक्रमणकारियों ने भारत पर कई आक्रमण किए। इन आक्रांताओं में बाबर, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली शामिल है। अहमद शाह अब्दाली ने पहली बार अफगानिस्तान पर एकाधिपत्य कायम किया। वह अफगान यानी कि पश्तूगन था। 1751 तक उसने वे सारे क्षेत्र जीत लिए जो वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। अफगानिस्तान नाम का विशेष-प्रचलन अहमद शाह दूर्रानी के शासन-काल में ही हुआ। अफगानिस्तान को आर्याना, आर्यानुम्र वीजू, पख्तिया, खुरासान, पश्तूनख्वाह और रोह नामों से पुकारा जाता था।

भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते के इतिहास में जाकर झाकें तो कहना पड़ेगा कि यदि अफगानिस्तान को अपने स्मृति-पटल से हटा दिया जाए तो भारत का इतिहास लिखना असंभव है। ईसा सन् 7वीं सदी तक गांधार के अनेक भागों में बौद्ध धर्म काफी उन्नत था। 7वीं सदी के बाद यहां पर अरब और तुर्क के मुसलमानों ने आक्रमण करना शुरू किए और 870 ई. में अरब सेनापति याकूब एलेस ने अफगानिस्तान को अपने अधिकार में कर लिया। चीनी इतिहासकारों के अनुसार सन् 383 से लेकर 810 तक अनेक बौद्ध ग्रंथों का चीनी अनुवाद अफगान बौद्ध भिक्षुओं ने ही किया था।

बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रारंभ अफगानिस्तान में ही हुआ। पुले-खुमरी से 16 किमी उत्तर में सुर्ख कोतल नामक स्थान पर कनिष्क-काल के भव्य खंडहर अब भी देखे जा सकते हैं। इन्हें अब "कुहना मस्जिद" कहा जाता है। पेशावर और लाहौर के संग्रहालयों में इस काल की विलक्षण कलाकृतियां अब भी सुरक्षित हैं। अफगानिस्तान के बामियान, जलालाबाद, बगराम, काबुल, बल्ख स्थानों में अनेक मूर्तियों, स्तूपों, संघारामों, विश्वविद्यालयों के अवशेष मिलते हैं। काबुल का संग्रहालय बौद्ध अवशेषों का खजाना रहा है। अफगान अतीत की इस धरोहर को पहले इस्लामिक मुजाहिदीन और अब तालिबान ने लगभग नष्ट कर दिया है। बामियान की सबसे ऊंची और विश्वप्रसिद्ध बुद्ध प्रतिमाओं को भी तालिबानियों ने लगभग नष्ट कर दिया।

अफगानिस्तान के इतिहास भूगोल समझने के लिए पहले ये जान लेना जरुरी है कि यहां अलग अलग कबिलाई समूह रहते है और इन्हीं कबलाई समूहों की वजह से तालिबान आज एक बार फिर से अफगानिस्तान पर फतह कर लिया है। अफगानिस्तान में मूल रुप से चार कबिलाई समूह रहते हैं। पश्तून, उज़्बेक, ताजिक और हज़ारा।जिसमें पश्तूनों की आबादी अधिक होने के कारण इनका दबदबा है इन्हीं पश्तून अफ़गानी कहे जाते है। हलांकि अपने-अपने कबीलों और इलाक़े में ताक़तवर तीन कमांडर जो ग़ैर-पश्तून हैं, दोस्तम उज़्बेक हैं, नूर ताजिक और मोहक्क़िक़ हज़ारा हैं। ये सभी एक ज़माने में नॉर्दर्न अलायंस के नाम से जाने माने लोग ताक़तवर फौजी गठबंधन का हिस्सा थे।

बहरहाल अफगानिस्तान में तालिबानियों ने सरकार का गठन कर लिया है। लेकिन जो तालिबान शराफ़त की बात करने लगा था और समावेशी सरकार के गठन पर जोर दे रहा था अब जब नई कैबिनेट की सूरत सामने है तो हर कोई हैरान है तालिबान की नई कैबिनेट में न सिर्फ कट्टरवादी नेताओं को जगह दी गई बल्कि 33 मंत्रियों में से सिर्फ़ तीन मंत्री ही अल्पसंख्यक समूहों से हैं। इनमें दो ताजिक मूल के हैं और एक उज़्बेक मूल के। सरकार में शिया हज़ारा समुदाय से किसी को मंत्री पद नहीं दिया गया। इतना ही नहीं तालिबानियों ने एक बार फिर महिलाओं को लेकर अपनी मानसिकता जाहिर कर दिया है और कोई महिला को मंत्री पद नहीं दिया हैं।

ईरान का खेल भी समक्ष से परे है जो ईरान अमेरिका को लेकर सख्त था और चाहता था कि अमेरिका अफगानिस्तान छोड़े और तालिबानियों को सह देता था अब उसका रुख तालिबानियों को लेकर कड़ा दिख रहा है। ईरान इस नई सरकार से बिलकुल भी खुश नहीं है। ईरान पंजशीर पर तालिबान के आक्रमण से भी नाराज़ है क्योंकि पंजशीर में अधिकतर ताजिक नस्ल के लोग रहते हैं जो सुन्नी हैं लेकिन ईरान उन्हें अपने अधिक क़रीब मानता है।

भारत और ईरान के रिश्ते मधुर रहे हैं।भारत ने ईरान और अफगानिस्तान में भारी निवेश भी कर रखा है। लेकिन अब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद भारत के किये कराये पर पानी फिर चुका है। अब भारत के लिए परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं।भारत ने हाल में कई देशों के प्रमुखों से फोन पर बात कर अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा की है। केन्द्र की मोदी सरकार ने अफगानिस्तान पर सर्वदलिय बैठक कर चिंतन मनन भी कर चुके हैं।

प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा कि तालिबान बीते 20 साल में सिर्फ उसके सहयोगी बदले हैं तालिबान नहीं बदला है। बिपिन रावत ने कहा, 'यह काफी कुछ वैसा ही है। यह वही तालिबान है जो 20 साल पहले था। खबरों और वहां से आए लोगों से मिल रही जानकारियां हमें वही बता रही हैं जो तालिबान करता रहा है। अगर कुछ बदला है तो वे हैं उसके साझेदार। यह वही तालिबान है दूसरे सहयोगियों के साथ।" सीडीएस का इशारा लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों के सहयोग पर था। जनरल रावत ने कहा कि अफगानिस्तान से पैदा होने वाली आतंकी गतिविधियों के भारत पर पड़ने वाले असर को लेकर हम चिंतित हैं। ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए इमरजेंसी योजनाएं तैयार की गई हैं। उन्होंने कहा, 'उस लिहाज से हमारी आकस्मिक योजनाएं चल रही हैं और हम उसके लिए तैयार हैं। हां, जिस तेजी से वहां सब कुछ घटित हुआ, उसने हमें चौंकाया है। "

भारत ने दूसरे देशों को यह समझाने में सफलता पाई है कि तालिबान का उपयोग पाकिस्तान आतंक के नए ठिकाने के लिए नहीं करे। इसके लिए उसे दो टूक शब्दों में बताने की जरूरत है।

इसके बाद भारत के सामने भी वैश्विक समुदाय के अनुरूप आगे बढ़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं बचा था।अफगानिस्तान को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पूतिन और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच लंबी बातचीत हुई। पूतिन ने भी माना कि अफगानिस्तान के मामले में भारत के रुख को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।

शांति, क्रांति के बाद अब अशांति से घिरा अफगानिस्तान का भविष्य का पता नहीं लेकिन भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो भविष्य में खतरा नजर आ रहा है। हलांकि ये भी कहा जा रहा है कि भारत अपने हित को देखते हुए फैसले लेने से पीछे नहीं हटेगा।लेकिन सवाल पैदा होता है कि भारत जिस अमेरिका से रिश्ते बनाने के चक्कर में अपने पारंपरिक दोस्त रुस और दूसरे देशों से दूर होता चला गया है क्या उसका असर देखने को भविष्य में मिलेगा क्योंकि अमेरिका पहले ही अपना दामन छुड़ाकर दूर खड़ा हो गया है और फिर रुस अपने हित को दरकिनार कर भारत के हित को तवज्जों क्यों देगा और चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर पिछले दिनों जो अपना रुख दिखाया है वह किसी से छुपी हुई नहीं है ऐसे में अब तालिबान क्या भारत के लिए संकट खड़ा नहीं करेगा?

भारत सरकार अपनी तरफ से सारे पैंतरे तो करती हुई दिखा रही है लेकिन सत्ता की अपनी नियति रही हैऔर ये देखा गया है कि सत्ता में बने रहने के लिए राजनीतिक दल कुछ भी करने से बाज नहीं आते। एक फिल्म के डायलॉग में फिल्म के खलनायक के किरेदार में डैनी साहब बोलते है कि हमारी सरकार पर जब आंच आई तो हमने देश पर हमले करवा दिये और राष्ट्रीयता का जोर शोर से नारा लगवा दिया हमारी सरकार बच गई। 2019 के आम चुनाव के ठीक पहले कश्मीर के पुलवामा हमले में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे जमकर राष्ट्रीयता के नारे भी उछाले गए थे और तो और पुलवामा के शहीदों के नाम पर खुलेआम वोट भी मांगे गए थे।ये एक संयोग हो सकता है लेकिन पर्दे के पीछे तालिबानियों से मोदी सरकार की बातचीत प्रकाश में आया है। 2024 के आम चुनाव तक एक बार फिर पुलवामा जैसे हालात या युद्ध जैसे हालात तालिबान पैदा कर सकता है? हलांकि ये सिर्फ शंकाए है। भविष्य की बाते है लेकिन ऐसा हो भी सकता है? ▪

@ +91 9415659396

मेरी भैंस को गुस्सा क्यों आया...

▪ नरेन्द्र प्रताप

पिछले कई दिनों से मेरी भैंसिया उदास है न तो ठीक से खा पी रही है और न ही दूध दे रही है। जब से वह सुन पाई है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की बात की है। जज साहब के इस टिप्पणी से नाराज होकर अनशन पर चली गई है। उसकी शिकायत है कि गाय को ही राष्ट्रीय पशु का दर्जा क्यों? भैंस को क्यों नहीं? उसे दुःख तो सबसे अधिक इस बात से हुआ कि इस तरह की नस्ल भेदी टिप्पणी किसी और ने नहीं एक यादव जज ने किया। बात दिल पर ले लिया है। अब ऐसे में वह जाए तो जाए कहाँ ? फिर उसे मीडिया की याद आई। मीडिया के द्वारा उसने जनता की अदालत में जाने का फैसला किया क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के चार जजों को मीडिया के द्वारा जनता की अदालत में जाना पड़ा था। फिर मैंने उसके पक्ष को रखने का फैसला किया।

जज साहब ने क्या कहा ?

खबर के मुताबिक जज साहब ने अपने फैसले में कहा है कि "गाय का भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान है और गाय को देश में मां के रूप में जाना जाता है। भारतीय वेद, पुराण, रामायण आदि में गाय की बड़ी महत्ता दर्शाई गई है। इसी कारण से गाय हमारी संस्कृति का आधार है। आपने यह भी कहा है कि "गोमांस खाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं हो सकता।" देश के कई राज्यों में भैस को सम्मनित स्थान प्राप्त है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु जंगली भैंसा है। छत्तीसगढ़ में कंवर छठ के अवसर पर भैस के दूध, दही और घी का प्रयोग किया जाता है।

उपयोगिता के आधार पर भैंस को पशु जगत में मिलना चाहिए था सबसे उच्च स्थान-

प्रसिद्ध समाजशास्त्री कांचा इलैया का कहना है कि प्रकृति से अबोध और शांतिप्रिय, भैंस को भारत के पशु जगत में सबसे सम्मानित स्थान मिलना चाहिए था। पशुओं में भैस को जो स्थान मिलना चाहिए थे वो नहीं मिल पाया। बेचारी भैंस है जिसे काली होने के कारण न उनके दैवी विमर्शों में जगह मिली, न आधुनिक राष्ट्रवादी विमर्शों में। भैंस नीग्रो-द्रविड़ अश्वेत सौन्दर्य की प्रतिनिधि है। इसी के दम पर भारत की दुग्ध- अर्थव्यवस्था कायम रही। भारत में इस्तेमाल किये जाने वाले दूध का दो-तिहाई दूध भैंस का होता है। खाद्य-पदार्थ के रूप में इसकी गुणवत्ता बहुत ज्यादा है। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रो डी डी कोसंबी ने अपनी पुस्तक प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता में लिखा है कि पवित्र न समझे जाने वाले इस पशु को वैदिक युग के बाद ही पालतू बनाया गया था। इस पशु के बिना गंगा की घटी के दलदलों और जंगलों को साफ करना संभव न होता। जहाँ दूसरे साधारण मवेशिवों का इस्तेमाल नहीं हो सकता ऐसे कीचड भरे धान के खेतों की जुताई में भैसे का उपयोग होता था।

चित्र - डी.डी. कोसंबी की पुस्तक प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता से लिया गया।

प्रसिद्ध समाजशास्त्री कांचा इलैया ने Post Hindu India में लिखा है कि दूध देने वाले पशु के रूप में भैंसों को भारतीय नागरिक समाज में लाने वाले यादव रहे हैं। इन पशुओं को घरेलू बनाने में भी यादवों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। ब्राह्मणों के जीवन और पुराणों में भी भैंस के दूध को एक आध्यात्मिक और दैवी स्थान दिया गया लेकिन अपने काले रंग के कारण हिन्दू धर्म में स्वंय यादवों को आध्यात्मिक स्वीकृति नहीं मिल पायी। हिन्दू धर्म आर्यों का धर्म है और आर्य प्रकृति से ही नस्लवादी रहे हैं। जो लोग उनके रंग, संस्कृति और जीवन-शैली से मेल नहीं खाते थे, उनका उन्होंने खूब अपमान किया। सफेद रंग को लेकर हिन्दू धर्म में असाधारण सम्मान है। गौ-राष्ट्रवाद की रचना भी सफेद गाय के इर्द-गिर्द की गई और भैंस को उसके काले रंग के कारण तिरस्कृत किया गया। ब्राह्मणवादी साहित्य में सिर्फ गाय को दैवी पशु कहा गया और वो भी बिना उस ज्ञान से कुछ सीखे जो उसके बारे में यादवों के पास था। भैस और भेड़ को आसुरी पशुओं के रूप में देखा गया और खुद यादवों को असभ्य माना गया। भैंस का तिरस्कार उसके काले रंग के कारण किया गया और किसी पवित्र गतिविधि में उसकी उपस्थिति को जरूरी नहीं माना गया, हालांकि उसका दूध उतना ही सफेद होता है जितना गाय का।

भैसें कभी समस्या नहीं रही। जानवरों से होने वाले संघर्ष में गायें ही अधिक है खास कर सांड़। आज उत्तर प्रदेश में गायें और सांड़ बीघे के बीघे फसल को देखते देखते चट कर जाते हैं। जिस तरह से समाज में जाटों, सिखों, अहीरों के लिए अपमान जनक मुहावरे और चुटकुले 'अहिर, गड़ेरिया, पासी चोर ....' चलते हैं वैसे भी भैसों के बारे अकल बड़ी या भैंस, काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस

चित्र - डी.डी. कोसंबी की पुस्तक प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता से लिया गया।

के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराय, गई भैंस पानी में जैसे मुहावरे कहे जाते हैं। यह सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की लड़ाई है। आज से 30 साल पहले चरवाहा विश्व विद्यालय का नाम जब आया था तो भैंस पर चढ़कर चलते हुए अफसरों के कार्टून खूब छपे थे। भैसों को हमेशा से चरवाहों खासकर अहीरों से जोड़कर देखा गया। अहीरों को टारगेट किया गया। लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव के का खूब मजाक बनाया गया। यदि चरवाहों पर ठीक दिशा में रिसर्च की जाती तो हम पशुपालन के बहाने हमें कई अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर मिल गए होते। हमने चरवाही के माध्यम से भैंस की सवारी की सवारी की, घोड़े की सवारी की, यहाँ तक कि हाथी जैसे विशालकाय जीव की भी सवारी की लेकिन शेर की सवारी कभी नहीं की। शेर की सवारी आस्था का विषय है इस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। भैस की सवारी को यमराज की सवारी क्यों बना डाला? इस बात पर की यमराज भैसे पर आये उनकी खिल्ली नहीं उड़ाई गई जब भैस पर चढ़कर एक अफसर जा रहा है तो उसकी इतनी खिल्ली उड़ाई गई। ■

@ +91 9453171770

क्या कहता है विज्ञान

गाय और भैस के दूध में अधिक पौष्टिक कौन सा है।

पोषक तत्वों के मामलों में भैंस का दूध, गाय के दूध से ज्यादा अच्छा है। इसमें पाये जाने वाले कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारे हड्डियों और दांतों के लिए बहुत फायदेमंद है। गाय के दूध में 3-4 प्रतिशत फैट मौजूद होती है, वहीं, भैंस के दूध में 7-8 प्रतिशत होती है। वहीं, गाय के दूध की तुलना में भैंस के दूध में 10-11 प्रतिशत प्रोटीन मौजूद होता है, भैंस के दूध में कैलोरी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और फैट की मात्रा ज़्यादा होती है। एक कप भैंस के दूध में 237 कैलोरी होती है। भैंस के दूध का रोजाना सेवन हमें आस्टियोपेरोसिस से भी बचाता है। यह पोटैशियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स का भी अच्छा स्रोत है। पोटैशियम आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है। यह आयरन के भी अच्छे स्रोत होते हैं जो हमारी लाल रक्त कोशिकाओं को शरीर के अलग-अलग हिस्सों में ऑक्सीजन पहुँचाने में मदद करते हैं।

गाय आक्सीजन लेती है और आक्सीजन छोड़ती है-

नाम न छपने की शर्त पर एक पशु चिकित्सक ने बताया कि गाय आक्सीजन लेती है और आक्सीजन छोड़ती है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। यह महज एक कोरी कल्पना है, आस्था और भावावेश में हम ऐसा मान लेते है जब की सभी गौ और महिष वंशी पशुओं की आंतरिक संरचना लगभग एक सी ही होती है।

गाय के घी से हवन करने पर बारिश होती है

जब हमने इस बारे में एक पर्यावणविद से जानना चाह तो उन्होंने कहा कि यदि ऐसा होता तो विश्व के रेगिस्तानी इलाकों की समस्याएं समाप्त हो गई होती। बारिश के लिए एक मैकेनि"म कम करता है कि की उस वर्ष की पर्यावरणीय स्थितियां कैसी है।

मनोज यादव
समाजसेवी

गाय से प्यार दैनिक जीवन में उसकी पोषक भूमिका के आधार पर नहीं किया गया, इसके बजाय उसे एक दैवी पशु के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। इस तरह उसकी अन्धविश्वासी ब्राह्मणवादी तत्वों ने की जो आध्यात्मिक पशुवाद (पशुओं को देवता माननेवाली एक विचारधारा) से प्रभावित थे। ब्राह्मणवादी ताकतों के सामाज-राजनीतिक और ऐतिहासिक हितों को ध्यान में रखते हुए तथाकथित महाकाव्यात्मक साहित्य में इसका वर्णन कामधेनु के रूप में किया गया, यानी वह गाय जिससे जो चाहे माँगा जा सकता है। कामधेनु का तात्पर्य हालांकि एक मिथकीय गाय से है लेकिन समय के साथ-साथ इस पद का उपयोग हरे गाय के लिए किया जाने लगा। जबकि कन्याकुमारी से लेकर हिमालय की चोटियों तक कहीं कोई ब्राह्मण लड़का या लड़की खेतों में गाय चराती नहीं दिखेगी, पर सांस्कृतिक पशु के रूप में गाय की आधुनिकतावादी चित्रकृतियां अवश्य उनके "राष्ट्रवादी" घरों में लटकी मिल जाएँगी।

जियो जौनपुर

■ कमलेश / सरोज कुमार

चली जौनपुर चली जौनपुर हे..। भिखारी ठाकुर के उपन्यास पर बनी भोजपुरी फिल्म बिदेशिया 1963 में गीत बदरवा से कजरवा तनी चुराय ले गोरिया के बोल है। यह वही दौर था भोजपुरी फिल्मों का निर्माण होना शुरु हुआ था। उस दौर में जौनपुर मंजिल की तरह हुआ करता था। धीरे धीरे वह मंजिल भटक गए और जौनपुर के लोग कलकत्ता की ओर पलायन करने को विवश हो गए। भोजपुरी अंचल में गया जाने वाले गीतों लागल झुलनिया के धक्का बलम कलकत्ता निकल गय और साड़िया लाए द बलम कलकतिया में यह स्पस्ट तौर पर देखा जा सकता है कि लोगों की मंजिल कलकत्ता हो गई।

यह वही दौर था जौनपुर केंद्र से पलायन करने वालों का शहर बना। कैसे जौनपुर एक जीवंत शहर से पलायन करने वालों का शहर बना, वही कहानी इस बार का बसावन इंडिया का मर्म है। जिसमे हम जौनपुर के इतिहास को, जौनपुर के लोंगों के विचार और जौनपुर में कैसे कैसे बदलाव हुए इसकी पड़ताल करेंगें।

इतिहास में जौनपुर

जौनपुर को फिरोजशाह तुग़लक़ ने अपने चचेरे भाई मुहम्मद बिन तुग़लक़ जिसको जौना या जूना ख़ान के नाम से भी जाना जाता था की याद में चौदहवीं शताब्दी में बसाया था। बाद में इस पर शर्की शासकों का अधिकार हो गया जिन्होंने जौनपुर को एक स्वतन्त्र राज्य के रूप में स्थापित किया।

कला में जौनपुर

जौनपुर की अटाला मस्जिद और जौनपुर का शाही पुल वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है आटाला मस्जिद की आधारशिला 1377 में दिल्ली के सुल्तान फिरोजशाह तुग़लक़ तृतीय ने रखी थी जिसको 1408 में यहाँ के शर्की वंश के शासक सुल्तान इब्राहिम शर्की ने पूरा करवाया था। मस्जिद में खूबसूरत गैलरियाँ बनी हैं एवं इसमें प्रवेश के लिए तीन तोरण द्वार बने हैं जिन पर सुन्दर नक़्क़ाशी की गई है जो कई प्रकार की कलात्मक कृतियों से सुशोभित हैं जो की यहाँ की स्थापत्य कला को बड़ी ही उन्मुक्तता से बयाँ कर रहे हैं ।

जौनपुर का शाही पुल अपने ढंग का अनूठा पुल है जिस पर हाट लगाने के लिए इसके दोनो तरफ़ दो पिलरों की संधि स्थल पर गुमटियों का निर्माण किया गया था जहाँ आज भी आपको दुकाने सजी हुई मिल जायेंगी। पुल के मध्य में एक विशाल सिंह की मूर्ति है जो अपने अगले दोनो पंजो को हाथी की पीठ पर सवार किए हुए है जो की बड़े ही खूबसूरत ढंग से यहाँ की स्थापत्य कला को उजागर कर रहा है। जौनपुर के शाही पुल का निर्माण 1564 में मुग़ल बादशाह अकबर के शासनकाल में उनके आदेश पर जौनपुर प्रांत के गवर्नर मुनीम खान के द्वारा बनवाया गया था। आज भी आपको लोग पुल के ऊपर खड़े होकर नदी की बहती धारा का विहंगम दृश्य का आनंद लेते हुए नज़र आ जाएँगे। इस पुल की मज़बूती का अंदाज़ा इसी बात से ही लगाया जा सकता है कि इतने सालों बाद भी ये चालू हालत में ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है जिस पर लोगों का आना जाना बदस्तूर जारी है ।

जौनपुर का मक्का और मूली

जौनपुर अपने मक्का और मूली की उपज के लिए प्रसिद्ध था। यह जौनपुर की मिटटी का असर था की यहाँ मूली और मक्के का उत्पादन बहुत अच्छा हुआ करता था। मक्का यहाँ के किसानों की नगदी फसल हुआ करती थी। लेकिन अब जौनपुर क्षेत्र में मक्के की फसल भी प्रभावित हो रही है। किसान मक्के की खेती से दूर भाग रहा है। मक्के की खेती से दूर हटने का कारण आवारा पशु और जंगली जानवर है। मुड़ेला गावँ के किसान जय प्रकाश ने बताया कि पहले हम सीजन में 20 से 25 हजार का मक्का आसानी से बेच लेते थे विगत वर्षों से साड़ों और नीलगाहों के कारण मक्के की फसल चौपट हो जाती है। जानवर में आते है, मक्के की फसल को भारी नुकसान हो जाता है। चौबीसों घंटे खेत पर रह पाना मुश्किल है।

जौनपुर की ए.जे

इलाहाबाद से जौनपुर को जोड़ने वाली पैसेंजर ट्रेन ए.जे पैसेंजर ट्रेन, जौनपुर जिले की जीवन रेखा हुआ करती थी, जब इलाहाबाद के लिए बसों की पार्यप्त सुविधा नहीं थी तब एजे इलाहाबाद जाने का एक मात्र साधन हुआ करती थी।एजे सिर्फ आवागमन का साधन ही नहीं थी बल्कि सामाजिक और आर्थिक विचारों की वाहक भी थी। एजे जिन जिन क्षेत्रों से गुजरी उन क्षेत्रों का पर्यात्प सामाजिक और आर्थिक विकास हुआ। कोरोना संकट से पहले इलाहाबाद में वकालत करने वाले वकीलों का एक बड़ा हुजूम एजे की सेवाएं लेता था। इसके आलावा छात्रों का एक बड़ा वर्ग एजे की ही यात्रा करता था यहाँ तक की इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढने वाले आर्थिक रूप से कमजोर छात्र सुबह एजे से क्लास करने जाया करते थे और शाम को एजे से लौट आते थे। एजे की यात्रा करके आज न जाने कितने लोग देश के बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं।

जौनपुर का जंघई रेलवे स्टेशन

जब जौनपुर से ट्रेनों की संख्या बहुत कम हुआ करती थी तो पहले जंघई रेलवे स्टेशन जौनपुर का प्रवेश द्वारा हुआ करता था। लोग जंघई आकर मुंबई और कलकत्ता के लिए ट्रेने पकड़ा करते थे। जंघई श्टेशन के बाद लोग जौनपुर की सीमा से बाहर हो जाया करते थे।

जवानी की रेस, गोरी देश पिया परदेश

जौनपुर में स्कूल कालेजों और उधोग धंधों का आभाव जल्दी ही पैसे कमाने की ओर धकेल देती थी। 12 वीं पास या फेल होने पर लोगों का विवाह कर दिया जाता है। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही लोग मजबूरी में परदेश की ओर रुख करते हैं। मुंबई की चाल और वहाँ के रहन सहन उनके बूते से बाहर होता है लिहाजा गोरी देश (गांव) मे ही छूट जाती है। 1960 और 70 के दशक में जौनपुर के लोगों का कमाने के लिए कलकत्ता पसंदीदा जगह होती थी, जिसकी झलक उस दौर के भोजपुरी गीतों में मिलती है। लागल झुलनिया के धक्का बलम कलकत्ता निकल गय और साड़ियां लाए द बलम कलकतिया सिर्फ गीत ही नही,यह कलेजे पर लिखे गये भू चिन्ह हैं जो उस दौर का पूरा इतिहास बयाँ कर देते है। इन गीतों में दर्द और विरह दोनों का भाव है। धीरे धीरे यह ठौर बदला और लोग कलकत्ता से मुंबई की ओर रुख करने लगे। जौनपुर से भारी संख्या में मुंबई की तरफ लोगों का पलायन होने लगा।

मुंबई में जौनपुर

मायानगरी मुंबई की भागदौड़ में दौड़ लगाता जौनपुर- मुंबई में बी.टी गेट वे ऑफ इंडिया चर्च गेट दादर में भागती हुई टैक्सियां अंधेरी, बांद्रा, कुर्ला, घाटकोपर, थाना, कल्याण नाला, सौपारा में दौड़ते भागते ऑटो रिक्शा महामार्गो से लेकर तंग सकरी गलियों से गुजरकर मुंबईयों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुचाने का हुनर किसी जौनपुरी में बखूबी देखा जा सकता है। सच तो यह है कि वे मुंबई की परिवहन व्यवस्था का अभिन्न अंग बन गए है।

सब्जी दूध और किराना की दुकानदार थाना कल्याण या दहिसर की सब्जी मंडियों में हो या फिर ठेलों पर लादकर सब्जी बेचते हुए जौनपुरी भाई लोग किसी को भी सहजता से मिल जाते है। गगन चुम्बी इमारतें हो या फिर सकरी गलियों से चिपके चॉल वाले रूम सबको दूध पिलाने का दायित्व जौनपुरी संभाले हुए है। सुबह की लोकल ट्रेनों के लगेज डिब्बे में तबेले के दूध के बड़े-बड़े बाल्टे लेकर जौनपुरी दिग्गज दिखाई देते है।

शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान

हिंदी माध्यम के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में जौनपुर के अध्यापकों की तो भरमार है साथ ही बहुत सारे शिक्षण संस्थान

भी हैं। कांदीबली स्थित रघुवीर माध्यमिक विद्यालय एक उत्कृष्ट संस्था है।

जौनपुरी जज्बा

अपनी जिम्मेदारियों का आभास होते हुए जौनपुरी भाई लोग अपनी नई नवेली को छोड़कर मुंबई की ओर चल पड़ते है। चॉल के 10 बाई 10 के कमरों में 5 -6 लोग मिलकर आराम से रह लेते है जौनपुर के एक छोटे से गावं बानीगांव का एक छोरा मुंबई से घर अपने पिता से बात करते हुए। कुछ अंश

हेलो बाबू पाय लागी सब ठीक बा न कवनउ बात का चिंता मत करिहअ। बब्लू और नन्नू से कहि दीह इलाहाबाद में अच्छे से पढिहई हम पइसा रूपया का कनउ तकलीफ न होई देवईब कवनउ दिक्कत होई त तुरंतई हमई बताई। सलाम है इस जौनपुरी सोच को साथ ही रण बाकुरों को।

जौनपुर की बसावट-

जमैथा में भैंस पर सवार व्यक्ति की प्रतिमा

तमाम ऐतिहासिक शहरों की भाँति जौनपुर शहर नदी के किनारे बसा हुआ है, प्राचीन जौनपुर की बसावट नदी के बाएं किनारे पर थी। जो अब गोमती नदी के दोनो किनारों पर फैला हुआ है। शहर के आसपास पशुपालक खास कर भैंसपालक जातियां निवास करती है। जमैथा में अहीर और पतहना में लोनिया जाति के लोग निवास करते हैं। जौनपुर शहर से सटा हुआ गाँव जमैथा है जो अपने खरबूजों के लिए प्रसिध है। जमैथा में एक मंदिर में भैंसे पर सवारी करते हुए व्यक्ति की मूर्ति मिली है, जहाँ लोग अपने पशुओं का पहला दूध और फसल तैयार होने पर चढ़ाते हैं। जौनपुर में अहीर और भर राजाओं का भी शासन रह चुका है इसके बहुत सारे ऐतिहासिक प्रमाण भी उपलब्ध है। चौकिया का मंदिर आज अहीरों और भरों के कुल देवी का मंदिर भले ही माना जाता है पर यहाँ का चौक और तालाब यहाँ आने वालों के लिए आकर्षण का केन्द्र के साथ-साथ लंबी वैचारिकी रही है, जो शोध का विषय है।

शहर के उत्तरी हिस्से में चौकिया है, जिसका मतलब चौक और चौरा से है बिलकुल वैसे ही जैसे बनारस का कबीर चौरा। यह बिलकुल वैसे ही है जैसे- थान मैंन चौक, टाइम्स स्क्वेयर जो सार्वजानिक आयोजनों के काम आता है। यहाँ भी शादी विवाह जैसे सार्वजानिक आयोजन होते थे। जौनपुर जैसे शहर में इस प्रकार का सार्वजानिक स्थान का होना शिराजे हिन्द होने का पुख्ता प्रमाण है।

शहर के आस पास के मुहल्लों के नाम के पीछे ज्यादातर गंज,पुर या बाद लगा हुआ है। जौनपुर जिले के गंज वाले मुहल्लों में नई गंज, ओलंदगंज, मीरगंज, सुजानगंज, शाहगंज हैं। पुर नाम से समाप्त होने वाले वाले मुहल्लों में मुगरा बादशाहपुर, गौरा बादशाहपुर, बदलापुर, बरबसपुर, रामपुर हैं। जौनपुर में कुछ ऐसे मोहल्ले भी हैं जो बाद नाम से समाप्त होते हैं जाफराबाद। जो जौनपुर में हिन्दू मुसलमान के गंगा जमुनी तहजीब को दिखती है। जौनपुर में कुछ ऐसे भी गाँव/ मोहल्ले हैं जो जानवरों के नाम से हैं भैसा, भैसहाँ, पडाहां, मुडेला जो मुरेला से बना हुआ लगता है क्योंकि जौनपुर में स्थानीय बोली में मोर को मुरेला कहते हैं।

जौनपुर का बदनाम टी डी कालेज

जाति व्यवस्था के लिए बदनाम टीडी कालेज अपने क्षत्रियपना के लिए जाना जाता था जिसमे कोई अन्य जाति विशेषकर दालित पिछड़ी जातियों के छात्रों के प्रति जातीय द्वेष के लिए लंबे समय तक कुख्यात रहा। ▪

@ +91 9792456575

कोरोना-त्रासदी

कोरोना त्रासदी तेरी, जमाना याद रक्खेंगे।
दिया जो जख्म दुनिया को, फसाना याद रक्खेंगे।।

पड़ी जब जान आफत में, बदहाल जिंदगी दौड़ी।
इक-इक सांस की जुगत लगाना, याद रक्खेंगे।।

लेकिन हाथ में पर्ची, इंजेक्शन ढूंढता कोई।
दवा की बेशुमार कीमत चुका चुकानी, याद रक्खेंगे।।

किसी ने मां को खोया तो, किसी ने बाप को खोया।
हजारों मासूमों को यतीम बनाना, याद रक्खेंगे।।

लगे स्कूलों में ताले, पढ़ाई दूर बच्चों से।
परीक्षाओं की अनंत तक टलना याद रक्खेंगे।।

किसी की नौकरी छूटी, हुई बर्बादी धंधे की।
नंगे पांव सड़कों पर चलना, याद रक्खेंगे।।

दरवाजे बंद मंदिर के, खुदा की बंदगी रोकी।
दुवाओं के लिए आंसू बहाना, याद रक्खेंगे।।

जब हालात थे बिगड़े, चतुर्दिक मुश्किलें घेरी।
मदद को जिम्मेदारों से गिड़गिड़ाना, याद रक्खेंगे।।
कोरोना त्रासदी तेरी, जमाना याद रक्खेंगे...

रचनाकार - अनिल राजभर, वाराणसी

वन्दना कटारिया : जाति नहीं मेरा खेल देखो

ओलंपिक खेलों में हॉकी के सेमीफाइनल मैच में हैट्रिक लगाकर स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा कारनामा करने वाली पहली भारतीय महिला का खिताब हासिल कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाने वाली वंदना कटारिया का नाम अब किसी परिचय का मोहताज नहीं। देश ही नहीं बल्कि दुनिया में शोहरत की बुलंदियों को छू रही वंदना ने 'करो या मरो' वाले एक बेहद ही रोमांचक मुकाबले में अफ्रीकी टीम के खिलाफ एक के बाद एक ताबड़तोड़ तीन गोल दागकर विश्व स्तर पर लगभग अपनी चमक खो चुके भारतीय हॉकी के सितारे को एक बार फिर बुलंद कर दिया। हरिद्वार के एक छोटे से गांव रोशनाबाद की रहने वाली 29 साल की वंदना पहले खो-खो प्लेयर बनना चाहती थीं, लेकिन रनिंग स्पीड अच्छी होने की वजह से हॉकी खेलना शुरू किया। उन्हें क्या पता था कि एक दिन उनका यही फैसला उन्हें देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक ऐतिहासिक पहचान दिलाएगा।

▪ परिभाषा

पेश है बसावन इंडिया के लिए परिभाषा से हुई उनकी विशेष बातचीत के संपादित अंश-

आपके परिवार में कौन-कौन है ? आपकी सफ़लता के पीछे किसकी अहम भूमिका रही?

मेरी मां है। मेरे पापा का देहांत हो गया है मैं 7 भाई बहनों में सबसे छोटी हूं। मेरे

5 भाई बहन खेल से ही जुड़े हैं। बड़ी बहन रीना कटारिया भोपाल एक्सीलेंसी में हॉकी कोच और छोटी बहन अंजलि कटारिया हॉकी खिलाड़ी हैं। भाई पंकज कराटे और सौरभ फुटबॉल खिलाड़ी एवं कोच हैं। मेरी सफलता के पीछे अहम भूमिका पापा की रही है। मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया मैं आज जो कुछ भी हूं अपने पापा की वजह से हूं आज वह हमारे बीच नहीं है ओलंपिक से दो महीने पहले वह चले गए थे इसी बात पर मुझे अफसोस है कि जब मैं कुछ कर पा रही हूं, तो वह हमारे साथ नहीं है।

आपको हॉकी प्लेयर बनने की प्रेरणा कहां से मिली?

मेरी बड़ी बहन हॉकी खेलती थी। उन्हीं की हॉकी लेकर मैं खेलने चली जाती थी उन्हीं से मुझे हॉकी खेलने की प्रेरणा मिली पर पहले मैं खो खो प्लेयर बनना चाहती थी। मैंने अपनी हॉकी की प्रोफेशनल ट्रेनिंग लखनऊ में की है।

आपको अभी उत्तराखंड सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड-एंबेसडर बनाया गया है। बड़ी ज़िम्मेदारी सौंपी गई है आपको। क्या कहना चाहेंगी?

मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी खासतौर से वहां के मुख्यमंत्री और आला अधिकारियों को हां यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं इसको अपनी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। ब्रांड एंबेसडर बनना मेरे लिया बहुत गौरव की बात है।

वैसे तो आपकी सफ़लता अपने आप में एक स्पष्ट संदेश है लेकिन फिर भीड़ एक लड़की होकर, अपनी मेहनत और बलबूते पर इस ऊंचाई तक का सफ़र तय करने के बाद- लड़कियों की आने वाली जेनरेशन को क्या कहना चाहेंगी?

मैं यही कहना चाहती हूं कि लड़की को भी एक लड़के की तरह देखा जाए उसमें भी सब कुछ करने की क्षमता होती है उसको सिर्फ घर के कामों में ही नहीं फसा देना चाहिए झाड़ू लगाओ बर्तन मांजओ खाना बनाओ लड़की है तो खाना ही बनाएगी यह मानना गलत है उसको वह करने देना चाहिए जो वह करना चाहती है उसको पढ़ाना चाहिए उसको खेलने देना चाहिए उनको वह सब कुछ करने का मौका मिलना चाहिए जो वह करना चाहती है। और मैं लड़कियों को भी यह कहना चाहूंगी कि आप अगर बाहर गए हो कुछ करने के लिए अपने सपने पूरे करने के लिए तो अपना पूरा ध्यान पहले अपने सपनों पर लगाओ। आपका जो गोल है। हासिल करो उसके बाद कुछ और करो और लड़कियों को इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कि उनके माता-पिता ने समाज से लड़कर उनको भेजा है इसलिए वह जो करने आई है पहले वह करें ।

आपकी जाति को लेकर कई सवाल उठाए गए इस पर आपकी क्या राय है?

दरअसल मैं इस पर कुछ भी बोलना नहीं चाहती हूं। और मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं मैं अपने गेम पर फोकस हूं पहले भी थी और अभी भी हूं।

इस बार रक्षाबंधन पर आप ने कई सालों बाद, लगभग 10 साल बाद अपने भाई को राखी बांधी। कैसा महसूस किया?

मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने कई सालों बाद अपनी फैमिली के साथ इतना समय स्पेंड किया। हम सब भाई बहनों ने खूब मस्ती की उनके साथ रही और बीच में यह त्यौहार पड़ गया रक्षाबंधन कई साल बाद मैंने रक्षाबंधन अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया मैंने कई सालों से कोई भी शादी अटेंड नहीं कि अपने परिवार में किसी की भी शादी में मैं नहीं जा पाई तो इस बार में रक्षाबंधन पर अपनी फैमिली के साथ रही मुझे बहुत अच्छा लगा और हां एक बात की कमी महसूस हुई वह पापा थे कि आज मेरे पास समय था और मैं वहां थी पर पापा नहीं थे।

भविष्य की क्या-क्या योजनाएं हैं? कुछ बताइए।

अपने खेल पर ध्यान देना है। अपने खेल को और बेहतर बनाना है। और आने वाले ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के लाना है। ▪

@ +91 8826063330

उपलब्धियां

- वंदना 2013 में जापान में हुई तीसरी एशियन चैंपियनशिप में टीम इंडिया में शामिल थीं। टीम ने सिल्वर मेडल जीता।
- 2014 में कोरिया में हुए 17वें एशियन गेम्स में भी वे टीम में थीं। टीम इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता।
- 2016 में सिंगापुर में हुई चौथी एशियन चैंपियनशिप में वंदना ने टीम इंडिया को गोल्ड मेडल जीतने में मदद की।
- वंदना 2018 में जकार्ता में हुए एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली टीम इंडिया का हिस्सा थीं।
- 2016 में हुए रियो ओलिंपिक में भी वे इंडियन स्क्वॉड का हिस्सा रहीं। हालांकि टीम को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा।
- 2018 में गोल्ड कोस्ट में हुए 11वें कॉमनवेल्थ गेम्स में वंदना ने टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व किया। टीम चौथे स्थान पर रही थी।

दक्षिण में आत्म सम्मान आंदोलन चलाने वाले पेरियार को लोग सिर्फ समाज सुधारक समझते हैं वे उससे बहुत आगे थे। वे एक क्रांतिकारी थे जो अपने पैरों पर खड़े होने, तर्कजीवी और वैज्ञानिकवाद पर जोर देने वाले थे। उनकी सोच के केंद्र में मानव था और उन्होंने दक्षिण को जकड़न से कैसे आजाद कराये उसके बारे में एक बानगी प्रस्तुत कर रहे हैं।

भारत के सुकरात पेरियार

इरोड वेंकट नायकर रामासामी

▪ **प्रस्तुति - देशराज एडवोकेट**

» पति-पत्नी नहीं, बनें एक-दूसरे के साथी

विवाहित दंपतियों को एक-दूसरे के साथ मैत्री-भाव से व्यवहार करना चाहिए। किसी भी मामले में पुरुष को अपने पति होने का घमंड नहीं होना चाहिए। पत्नी को भी इस सोच के साथ व्यवहार करना चाहिए कि वह अपने पति की दासी/रसोइया नहीं है। विवाहित दंपति को बच्चे पैदा करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। विवाह के कम-से-कम तीन साल बाद बच्चे पैदा हों, तो अच्छा रहेगा। विवाहितों को अपनी कमाई के अनुसार खर्च करना चाहिए। उन्हें उधार नहीं लेना चाहिए। भले ही आय कम हो; उन्हें किसी भी तरह थोड़ी-सी बचत करनी चाहिए। इसी को मैं जीवन का अनुशासन कहूंगा। विवाहित लोगों को एक-दूसरे के प्रति सरोकार रखने वाला होना चाहिए। भले ही वे दूसरों के लिए ज्यादा कुछ न कर पाएं, लेकिन उन्हें दूसरों का अहित करने से बचना चाहिए। कम बच्चे होने से ईमानदारी और आराम से जीवन व्यतीत परिस्थितियों के अनुकूल ढालने के लिए हर तरह से प्रयास करना चाहिए। भविष्य किया जा सकता है।

विवाहित लोगों को अपने जीवन को दुनिया की वर्तमान में दुनिया कैसी होगी? इसे भूलकर उन्हें वही करना चाहिए, जो वर्तमान दुनिया में जीने के लिए आवश्यक है। "पति" और "पत्नी " जैसे शब्द अनुचित हैं। वे केवल एक-दूसरे के साथी और सहयोगी हैं; गुलाम नहीं। दोनों का दर्जा समान है। जिस देश या समाज में प्रेम को स्वतंत्र रूप मिलता है, वही देश ज्ञान, स्नेह, संस्कृति और करुणा से समृद्ध होता है। जहां प्रेम बलपूर्वक किया जाता है, वहां केवल क्रूरता और दासता बढ़ती है। जीवन में एक-दूसरे की अपरिहार्यता को समझना एक उदात्त प्रेम की पहचान है। नैतिक आचरण की

विवाह पर किया जाने वाला खर्च लोगों की10 या 15 दिनों की औसत आय से अधिक नहीं होना चाहिए। समाज में कुछ लोगों की स्वीकृति पाने और अपनी प्रशंसा सुनने हेतु लोग दो या तीन दिनों के लिए विवाह में अतार्किक ढंग से अत्यधिक खर्च कर देते हैं। खर्चीले विवाहों के कारण कुछ परिवार कंगाल हो जाते हैं।

सीख देने वाली कोई भी किताब या धर्म-ग्रंथ यह नहीं सिखाता कि एक बाल वधू को वैवाहिक बंधनों में बंधकर तथा पारिवारिक जीवन में उलझकर, पति के संरक्षण की बेड़ियों में कैद रहना चाहिए, जबकि अपनी उम्र के अनुसार वह इसके लिए तैयार नहीं है। नागरिकों और पुलिस, दोनों को अवैध विवाह से संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार होना चाहिए। पुरुष के सिद्धांत पर अनुबंधित किया जाना चाहिए। अन्यथा यही बेहतर होगा कि विवाह को केवल लैंगिक समानता तथा स्त्री-पुरुष के बीच समान व्यवहार महिलाएं तथाकथित पवित्र वैवाहिक जीवन से बाहर एकल जीवन जीएं। स्त्री की गुलाम बनकर क्यों रहे?

विवाह पर किया जाने वाला खर्च लोगों की10 या 15 दिनों की औसत आय से अधिक नहीं होना चाहिए। एक और बदलाव यह लाया जा सकता है कि विवाहोत्सव को कम दिनों में मनाया जाए। मैं विवाह या शादी जैसे शब्दों से सहमत नहीं हूं। मैं इसे केवल जीवन वचन और यदि आवश्यकता हो, तो अनुबंध के पंजीकरण के एक प्रमाण की जरूरत है। अन्य रस्मो-रिवाजों की कहां आवश्यकता है? इस लिहाज से मानसिक श्रम, समय, पैसे, उत्साह और ऊर्जा की बर्बादी क्यों? समाज में कुछ लोगों की स्वीकृति पाने और अपनी प्रशंसा सुनने हेतु लोग दो या तीन दिनों के लिए विवाह में अतार्किक ढंग से अत्यधिक खर्च कर देते हैं। खर्चीले विवाहों के कारण कुछ परिवार कंगाल हो जाते हैं। यदि पुरुष और महिला रजिस्ट्रार कार्यालय में हस्ताक्षर करके यह घोषणा कर देते हैं कि वे एक-दो के जीवन-साथी बन गए हैं, तो यह पर्याप्त है। मात्र एक हस्ताक्षर के आधार पर किए गए ऐसे विवाह में अधिक गरिमा, लाभ और स्वतंत्रता होती है। हमें विवाह के पारंपरिक रीति-रिवाजों का पालन करने की जरूरत नहीं है। समय और समाज के मिजाज तथा ज्ञान में हो रही वर्तमान वृद्धि के अनुसार ही रीति-रिवाज स्थापित किए जाने चाहिए। यदि हम सदा के लिए किसी विशेषकाल के तौर-तरीकों का पालन करते रहें, तो स्पष्टतः हम ज्ञान के मामले में आगे नहीं बढे हैं आत्माभिमान विवाह परंपरागत रूप से चलती आ रही प्रथाओं पर प्रश्न उठाने और उन्हें चुनौती देने के लिए शुरू किए गए हैं। विवाह से केवल वर-वधू का ही सरोकार नहीं होता। यह राष्ट्र की प्रगति के साथ जुड़ा होता है।

-यह लेख देविना अक्षयवर द्वारा अंग्रेजी से अनुवादित कलेक्टेड वर्क्स ऑफ पेरियार ई.वी.आर., संयोजन : डॉ. के. वीरामणि, 1981 में संकलित "मैरिज" से लिया गया है। ▪

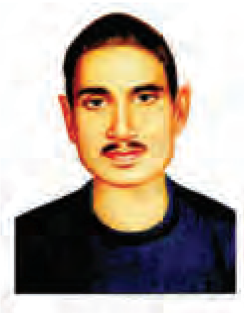

उत्तर भारत के पेरियार - ललई सिंह यादव

भारत की गाय पट्टी में ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के खिलाफ सड़क से लेकर अदालत तक लड़ाई लड़ने वालों में पेरियार ललई सिंह यादव अगुआ नायकों में एक रहे हैं। उत्तर भारत के पेरियार कहे जाने वाले ललई सिंह यादव को उत्तर भारत के पेरियार की उपाधि स्वंय रामास्वामी पेरियार ने दी थी। सितंबर माह में उनका भी जन्म दिवस है। ललई सिंह विचारों और चेतना के महत्व से बखूबी परिचित थे। उनका कहना था कि वैचारिक चेतना से लैश हुए बिना शोषितों-वंचितों का संघर्ष को आगे नहीं बढ़ सकता है। वैचारिक चेतना के प्रसार के लिए उन्होंने सिपाही की तबाही, शोषितों की धार्मिक डकैती और रामासामी पेरियार की पुस्तक रामायण : ए टू रीडिंग का सच्ची रामायण नाम से हिंदी अनुवाद किया।

उनकी पुस्तक शोषितों की धार्मिक डकैती के कुछ अंश...
शूद्रों के लिए अपमानजनक कहावतें-
अहि, अहीर दोनहु प्रबल, अति से प्रबल अहीर।
कबहु-कबहु अहि डसत है, पग-पग डसत अहीर
अहि अहीर की एक गति। अहि ते कठिन अहीर।
बचा बांधो अहि रहे, बचा कट अहीर
अहीर मिताई तब करे, जब सबे मीत मर जाय।
अहिरम, गडरम मल्लाहम, बिना गुनाहम दस पन्नाहम।
जहां चार अहीर, तहा बात गहिर।
जहां चार कोरी तहां बात बोरी।
अहीर और सीख का दिमाग 12 बजे के बाद ठीक होता है।
शकरकंद की शक्ल बनाई, गाजर की पैजनियाँ।
मूली के दुई बंद लगाये , छमक चली काछिनियां।
भंगी से पचास जूते लगवाऊंगा।
तेरे मुंह में भंगी से थुकवा दूंगा।
गगरी दाना सूद उताना,
भरी गगरिया मती चमरिया।
तेली का मुंह देख लिया, अठेन हो गई
नाई छत्तीसा, नौआ बाल बनौआ,
नई नाइन बांस कि नहन्नू।
ग्यारह-बारह-तेरह (नाई) छत्तीसा
नउनिया औरन के मल-मल धोवे,
अपने धोवे लजाय।
कायस्थ बच्चे, कभी न सच्चे
जिसका बनिया यार,
उसको दुश्मन की क्या दरकार।
कौआ, कलाल कुत्ते दा,
बसाह न करिये कुत्ते दा

■ **प्रस्तुति - देशराज एडवोकेट**
@ +91 9415767238

मंडल जयंती पर
उठी जाति जनगणना की माँग

आजमगढ़ में मंडल जयंती समारोह

▪ **बसावन इंडिया डेस्क**

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और दूसरे ओबीसी आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल की 103वीं जयंती देश भर में मनाई गयी। बीपी मंडल के सामाजिक योगदान को याद करते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की अन्य संस्तुतियों को लागू किए जाने की मांग उठी।

आजमगढ़ जिले के नेहरु हाल में एक दिवसीय मंडल जयंती समारोह एवं सेमिनार का आयोजन किया गया। 'जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता' विषयक इस गोष्ठी में जातियों की जनगणना कर जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के नारे को बुलंद किया गया। इस अवसर पर बीएचयू के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. ओम शंकर मंडल ने कहा कि जातीय श्रेष्ठता सबसे बड़ा आरक्षण है, हमे शिक्षा और स्वस्थ पर काम करना होगा, तब कोई किसी का हक नहीं छीन पाएगा।

सोनभद्र में आयोजित मंडल जयंती कार्यक्रम में बीपी मंडल को भारत रत्न दिए जाने की मांग उठी। इस अवसर पर डॉ. ओम प्रकाश मौर्य ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए उन्होंने 3743 ओबीसी की बिखरी जातियों को एकसूत्र में बाधने का काम किया था। ▪

सोनभद्र में मंडल जयंती कार्यक्रम में माल्यार्पण करते इंजी. मनीष

डॉ. ओम प्रकाश मौर्य

आजमगढ़ के श्रोतागण

नहीं रही कांशीराम की वैचारिक सहयोगी
विश्व प्रख्यात लेखिका डॉ. गेल आम्वेट

▪ बसावन इंडिया डेस्क

भारत में बहुजन, बौद्ध, श्रमिक और नारीवाद आंदोलन की इतिहास लेखक और स्त्री मुक्ति आंदोलन, आदिवासी, दलित, श्रमिक के मुद्दों को प्रखरता से उठाने वाली मान्यवर कांशीराम की वैचारिक सहयोगी प्रोफ़ेसर गेल आम्वेट अब हमारे बीच नहीं रहीं 25 अगस्त को उनका निधन हो गया। डॉ. गेल का अमेरिकी मूल की भारतीय नागरिक थी।

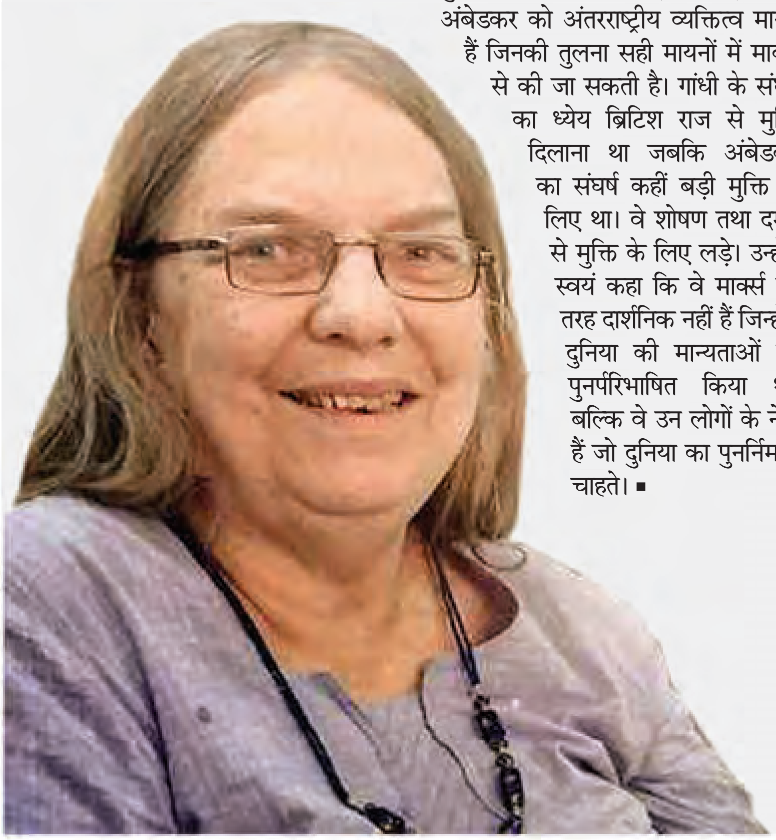

प्रस्तुत है प्रोफ़ेसर गेल आम्वेट की लिखी कुछ पंक्तियाँ –

भारत में अंबेडकर को अक्सर गांधी की तुलना में रखा जाता है, यह विरोध दोनों के चित्रांकन में मुखर होता है। गांधी धोती पहने आमतौर पर चरखा चलाते दिखाई पड़ते हैं। इस दृश्य में उनका भारत के गरीबों से तादात्म्य नज़र आता है। वे पारंपरिक भारतीय गांवों को गौरवमय दर्जा देते थे और धार्मिक जड़ता के पैरोकार थे। वहीं 'पश्चिमी' पोशाक पहने अंबेडकर युगों की धरोहर पर दलितों का दावा ठोकते नज़र आते हैं, वे ब्राह्मणवादी तथा अन्य संकीर्ण सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तथा उस आधुनिकता को अस्वीकार करते हैं जो आज भी भारत की उदात्त परंपराओं को चहुंदिश आलोकित कर रही है। यदि गांधी 'बापू' अर्थात समाज के पिता थे-उस समाज के जहां उन्होंने 'हिंदू' ढांचे को बरकरार रखते हुए समानता सुनिश्चित करने का प्रयास किया था तो अंबेडकर अपने लोगों के 'बाबा' थे-एक महान मुक्तिदाता-जो स्थापित ढांचे से मुक्ति चाहते थे। अंबेडकर की सिर्फ गांधी से तुलना पर दलितों को बड़ा एतराज़ है। वे अंबेडकर को अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व मानते हैं जिनकी तुलना सही मायनों में मार्क्स से की जा सकती है। गांधी के संघर्ष का ध्येय ब्रिटिश राज से मुक्ति दिलाना था जबकि अंबेडकर का संघर्ष कहीं बड़ी मुक्ति के लिए था। वे शोषण तथा दमन से मुक्ति के लिए लड़े। उन्होंने स्वयं कहा कि वे मार्क्स की तरह दार्शनिक नहीं हैं जिन्होंने दुनिया की मान्यताओं को पुनर्परिभाषित किया था, बल्कि वे उन लोगों के नेता हैं जो दुनिया का पुनर्निर्माण चाहते। ▪

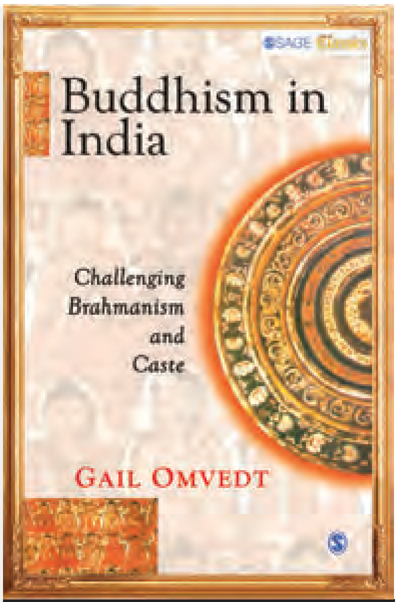

डॉ. गेल की प्रमुख पुस्तकें

- कल्चरल रीवोल्ट इन कोलोनियल सोसायटी- द नॉन ब्राम्हीण मुहमेन्ट इन वेस्टर्न इंडिया,
- सिकिंग बेगमपुरा,
- बुद्धिझम इन इंडिया,
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर,
- महात्मा जोतीबा फुले,
- दलित अँड द डेमॉक्रॅटिक रिव्हूलेशन,
- अंडरस्टँडिंग कास्ट,
- वुई विल स्मॅश दी प्रिजन,
- न्यू सोशल मुमेन्ट इन इंडिया

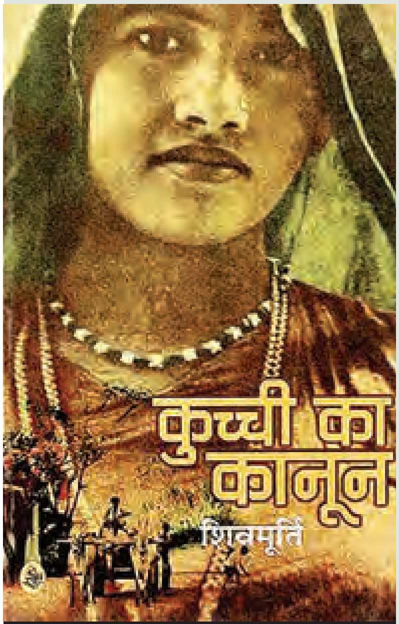

माई से कहना, उसकी ओर मुंह करके रोऊंगी भी नहीं..

▪ प्रस्तुति - कोमल प्रसाद

ये पक्तियाँ शिवमूर्ति की कहानी कुच्ची का कानून की हैं, जिसे पढ़ते हुए आपकी आंखे नम भी हो सकती हैं, पर समाज का हिस्सा होने के कारण आपका साहस उसका साथ देगा... ये कहना मुश्किल है। कहानी है गाव की एक युवा लड़की की जो विधवा हो जाती है। कहानी कहानी ही नहीं बल्कि एक्कीसवी सदी की एक कहानी है जो गाँव के गहरे कुँए से बाहर जाते रास्ते की कहानी है, कुच्ची का कानून"। कुच्ची एक युवा विधवा है जो अपनी कोख पर अपने अधिकार की घोषणा करती है। अपनी मर्जी के पुरुष से बच्चा पाने और भरी पंचायत में अपनी कोख पर अपने हक के लिए लड़ जाने मार्मीक, और जोरदार कहानी है। लेखक ने बातचीत मे बताया कि कुच्ची अभी भी है, और उसका भरा पूरा परिवार है।

सुल्तानपुर के रहने वाले शिवमूर्ति कि कहानियाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश के समाज के अंतर्विरोधों को करीब से देखने को विवश करते है। अगर आपने उनकी कोई कहानी पढ़नी शुरू की, तो यकीन मानिए पूरी कहानी पढ़ने को विवश तो होना पड़ेगा, पर साथ देंगे उनके पात्रों का ये कहना मुश्किल होगा।

इसी कहानी के कुछ अंश...

भाइयों का बटवारा, बटवारा, खूँटा यही गाड़ेंगे की लड़ाई तो है ही लेकिन शिवमूर्ति की कहानियों मे महिलाओ का जो चरित्र पीड़ा के ऊबड़-खाबड़ रास्तो से उभरता है उसे पूर्वी उत्तर प्रदेश तो क्या आज के भारत की जरूरत है, जिसे हम चाहते तो हैं, पर साथ नहीं दे सकते। उनकी और भी कहानियाँ है जिनपर फिल्मे भी बन चुकी है पर कुच्ची का कानून बारे में खुद शिवमूर्ति का मानना है कि उनकी यह कहानी एक औरत के कोख पर आधारित है जो विधवा होती है, मगर उसके गर्भ में बच्चा होता है। समाज में यह अफवाह कि यह बच्चा किसका है, यही मूल कहानी है।

आगे वे यह भी कहते हैं कि औरत को पूर्ण अधिकार है कि वह अपने गर्भ में किस पुरुष का बीज रखना चाहती है।

लगी तो पहले भी थी गाँव में ऐसी आग। एक नहीं, कई बार। लेकिन उन्हें समय रहते बुझा दिया जाता था। यह तो डंके की चोट पर कह रही है कि पैदा करूँगी।

बनवारी खुश है। इस बार ऐसा पेंच फँसा है कि या तो रमेसर इस कुलच्छनी को घर से निकालेंगे या सारा गाँव मिलकर उसके साथ रमेसर दोनों परानी को गाँव से बाहर भगाएगा। कौन चाहेगा कि इसके चलते सारे गाँव की बदनामी हो?

इस औरत को कौन जानता है, बदनामी तो गाँव की होगी। दोनों घरों के बीच में बोलचाल, आवाजाही बन्द है। सुलछनी और कुच्ची ने एक दूसरे को अपने दुआर पर न आने की कसम दे रखी है। सयाने कहते हैं कि उसे रमेसर से बिगाड़ नहीं करना चाहिए था।

"काका-काकी" कहकर बूढ़े-बुढ़िया के पैर छूता रहता और कुच्ची के खिलाफ दोनों के कान भरता रहता तो सब कुछ हासिल हो जाता। सब कुछ माने सब कुछ। लेकिन चूक हो गई। इस बार वह अकल से काम लेगा। खुद सामने नहीं आएगा। पूरे गाँव को मुकाबले में खड़ा कर देगा। शायद बनवारी ने कुच्ची के मायके तक खबर पहुँचा दी। उसका छोटा भाई मिलने आया है। रमेसर कहीं निकले हैं। कुच्ची की सास ओसारे में चारपाई पर दरी बिछाकर उसे बैठाती है। एक कटोरे में दही-गुड और लोटे में पानी लाकर देती है। फिर भीतर जाकर चल्हे में रोटी सेंकती बहू को खबर करती है। कुच्ची फूला हुआ पेट लेकर सामने आने में सकुचा रही है। किवाड़ की आद से हालचाल पूछती है।

-बहुत दिनों बाद खबर लेने आए भइया। माई से कहना, मेरी जान सूली पर टँगी है। उनसे मिलने को मन बहुत हुडकता है।

भाई आँख नहीं मिलाता। शून्य में देखते हुए कहता है-पाई ने कहलाया है कि कुचिया अब मायके लौटने की न सोचे। वह मेरे लेखे मर गई। वह सिहर जाती है।

-माई ने कहलाया है कि बड़की भाभी ने ?

-दोनों ने।

-और बप्पा ने क्या कहलाया है ?

-बप्पा को कुछ पता नहीं है।

और तुम क्या कहते हो?

भाई, जिसको उसने गोद में खेलाया है, चुप रह जाता है।

-तुम भी अपने मन की बात कह दो दीपू।

भाई खड़ा हो जाता है।

-पानी तो पी लो बबुआ।-सास कहती है।

-माई ने मेरे घर का पानी पीने से भी मना किया है क्या?

भाई सिर झुकाकर बाहर निकल जाता है।

वह किवाड़ की आड़ से बाहर आते हुए कहती है-जाकर माई से कहना, मैं उनके घर की ओर मुँह करके रोऊँगी भी नहीं। ▪

@ +91 9565869539

बसावन नामा

आपके सामने प्रस्तुत है हमारे प्रथम एवं द्वितीय अंक में हमारे सुधिपाठकों की प्रतिक्रिया जो कि हमारे पास विभिन्न माध्यमों से भेजी गई है।

करेंट, सम सामयिक घटना का पेज जोड़े जिससे प्रतियोगी परीक्षार्थियों जो सामाजिक न्याय के वैचारिकी से जोड़ा जा सके।

मिथलेश सिंह यादव
(फेसबुक पर प्रतिक्रिया)

बसावन इंडिया पत्रिका अन्य पत्रिकाओं से भिन्न हैं। प्रथम अंक में एमकेस्टालिन जी द्वारा धर्माचार्यों के पद पर पिछड़े एवं दलित वर्ग की नियुक्ति।

जनगणना में जाति से परहेज् क्यों?दूसरे अंक में 69000 नियुक्तियो में आरक्षण की अनदेखी और नीट मुद्दे पर दिलीप मंडल द्वारा चलाया गया अभियान।

इसके अलावा बनारस के कुछ विशेष योगदान देने वाले पिछड़े समाज के लोगों पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है। क्योंकि पिछड़े एवं दलित समाज का लिखित इतिहास बहुत कम मिलता है।

बसावन इंडिया पत्रिका का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो एवं पिछड़े, दलित वर्ग का अपने एक साझा प्रिंट मीडिया की स्थापना हो सकें।

पत्रिका बहुत ही सारगर्भित लेख एवं वैचारिक रूप को सशक्त बनाने का प्रयास कर रही हैं।

अनिल दीप चौधरी
जौनपुर

प्रिय नरेन्द्र जी मेरे विचार से पत्रिका के हर अंक में एक पेज संविधान में दें अपने अधिकारो और संवैधानिक व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालना और संविधान के प्रति जागरूकता बढाना दलितों और पिछड़ों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा क्योंकि यह समाज जितना धर्म के बारे में जानता है संविधान के बारे में अपेक्षाकृत कम जानकारी रखता है तथा अपने समाज के महापुरुषों ने हमें क्या क्या मार्ग सुझाये हैं आते रहना चाहिए ।

आशा करता हूं कि आप मेरे मत से सहमत होंगे

हमारा संगठनात्मक सामाजिक ढांचा, शैक्षिक, आर्थिक और राजनैतिक स्तर का मजबूत होना समय की मांग और अवश्यकता है। इसकी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए और संबंधित विषय विशेषज्ञों का सहयोग हासिल करना होगा थोडा कठिन जरूर है पर असम्भव नहीं। समाज तक अपना उद्देश्य और अपनी बात ले जानी पडेगी। आप में काबिलियत है सब कर गुजरने की यह मेरा विश्वास है ।

धन्यवाद। शुभकामनाएं

राम प्रसाद
लखनऊ उत्तर प्रदेश

यह बसावन इंडिया का जबरदस्त अंक है। कई मुद्दों पर बेबाक और निर्भीक टिप्पड़ी की गई है जो समाज के लिए कोड़ हैं खास कर तेरहवीं और अंतरजातीय विवाहों में दलितों की हत्या पर कई पहलुओं को ध्यान में रखा गया है।

सुनीता मौर्या
ऊंचाहार रायबरेली

सदस्यता रसीद

पत्राचार का पता : देशराज एडवोकेट, 12बी/284, वृंदावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ (उ.प्र.) प्रतिशत मो.: 9415767238

मैं बसावन इंडिया राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका के लिए सदस्यता ले रहा / रही हूं।

श्री / श्रीमती : ....

पता पिन कोड सहित : ....

मोबाईल नं. : .... ईमेल आईडी : ....

नगद राशि शब्दों में : ....

☐ वार्षिक ₹ 300/- ☐ 2 वर्ष ₹ 500/- ☐ 5 वर्ष ₹ 1000/-

☐ 10 वर्ष ₹ 5000/- ☐ आजीवन ₹ 10,000/-

Bank Name : State Bank of India
Main Branch, Azamgarh (U.P.)
AC Holder Name : Basavan India
AC No. : 40414082862
IFSC Code : SBIN0000014

प्राप्तकर्ता का नाम

मो.:

हस्ताक्षर

Rate Card

Ad On Page	Rate	Colour/BW	Print Area
Full Page Front Inside	40,000/-	Colour	19 cm x 26cm
Full Page Back Cover	40,000/-	Colour	19 cm x 26cm
Full Page Back In Side	30,000/-	Colour	19 cm x 26cm
Half Page	20,000/-	Colour	19 cm x 26cm
Half Page	10,000/-	B/W	19 cm x 13cm
Quarter Page	10,000/-	Colour	123.5 Sqm
Quarter Page	5,000/-	B/W	123.5 Sqm
1/8 Page	5,000/-	Colour	61.75 Sqm
1/8 Page	3,000/-	B/W	61.75 Sqm

विज्ञापन के लिए संपर्क करें : +91 9415767238, +91 9453171770

संपादकीय

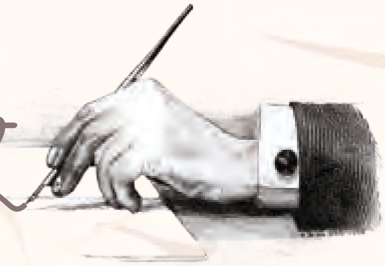

सामाजिक न्याय को लेकर विमर्श बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय में कोविड के कारण आना जाना, मिलना जुलना कम हो पा रहा है। उस समय भी सरकारें जनता के मन में चल रहीं हिलोरों को अपने थर्मामिटर से नाप ले रही है। इसीलिए तो मध्यप्रदेश में पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की घोषणा हो गई। ये घोषणाएं हिन्दी पट्टी विशेषकर यू.पी., बिहार में बहुत पहले हो गई लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्यों में अभी भी लागू होने की घोषणा का इंतजार है।

यहां यह भी गौरतलब है कि पिछड़ों की सूची में किसी भी जाति को डालनें का अधिकार अब राज्य सरकारों को दे दिया गया है। यह संविधान संशोधन 2-3 दिन में हुआ और ज्यादा बहस नहीं हुई, इसीलिए इस पर विमर्श की जरुरत लगती है। विभिन्न परीक्षाओं में ओबीसी/ एस.सी. और कहीं कहीं एस.टी. मेरिट जनरल से ज्यादा जा रही है तो क्या इस पहलू पर संशोधन के दौरान विमर्श किया जाना चाहिए था?

दूसरे क्या किसी जाति को पिछड़ों की सूची में डाल भर दिया जाए तो क्या उसे न्याय मिल जाएगा? अगर इसी तरह कोई जाति एस.सी. में शामिल होने की मांग करने लगे तो क्या होगा? इसके अलावा निजीकरण के दौर में जब रेलवे से लेकर सार्वजनिक उपक्रम बेचे जा रहे है, पढ़ाई से लेकर दवाई तक निजी हाथों में सौंपे जाने की बेला में पिछड़ों की सूची में शामिल होने से क्या लाभ होगा। ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पर विमर्श, बहस और चर्चा की जरुरत है।

कई बार सामाजिक न्याय के नाम पर मंत्री बना देने या राजनीतिक पार्टियों द्वारा जातीय चेहरे चमकाकर, दिखाकर उस जाति को न्याय देने की समझाने की कोशिश होती दिख रही है, पर इसका गुब्बारा फटने की हमेशा संभावना बनी रहेगी, क्योंकि किसी जाति का मुख्यमंत्री बन जाने से या कहें कि संविधान की प्रस्तावना में प्रमुखता से लिखे सामाजिक न्याय की प्राप्ति नहीं हो सकती।

शिक्षा, राजकाज और व्यापार में समुचित भागीदारी के अवसर प्रदान करने होंगे। हजारों साल तक भारत का बड़ा समुदाय शिक्षा लेने देने से वंचित था। राजकाज और व्यापार के दरवाजे बंद थे और केवल श्रम वह भी वाह्य श्रम करने का मजबूर किया गया। समाज के सात निरंतर सकारात्मक हस्तक्षेप की आवश्यकता है वरना जैसा कि लोकतंत्र की जड़े कमजोर होंगी। पढ़ाई को निजी हाथों में दे दिये जाने और पढ़ाई की सरकारी व्यवस्था बिगड़ने से सामाजिक न्याय के प्रति संविधान द्वारा दी गई, प्रतिबद्धता कमजोर पड़ेगी। इसीलिए देश की सरकारों को सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता को चेहरा संवारने से आगे बढ़कर टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, नर्स, पत्रकार, व्यापार से लेकर थाना पुलिस और राजनीति में भी न केवल न्याय को सुनिश्चित करना होगा, बल्कि न्याय होते दिखाना भी पड़ेगा। तभी हमारे देश के लोग सच्चे अर्थों में सामाजिक न्याय पा सकेंगे और देश मजबूत होगा। इस माह पेरियार की जयंती है जिसे तमिलनाडु सरकार ने सामाजिक न्याय दिवस के रुप में मनाने का निर्णय लिया है। इस दिवस की **शुभकामनाओं** के साथ **बसावन इंडिया** का **तीसरा अंक** पाठकों के सामने है।

नरेन्द्र

पिछले अंक में बसावन की पेंटिंग के बारे में पाठकों की जिज्ञासा और अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, पुनः विस्तार से प्रकाशित किया जा रहा है।

बसावन : बसावन (1580-1600 में फले-फूले), मुगल शैली में एक भारतीय लघु चित्रकार थे। उन्हें उनके समकालीनों द्वारा एक कुशल रंगकर्मी और मानव प्रकृति के एक बेहतरीन पर्यवेक्षक के रूप में जाना जाता था। उन्हें अकबरनामा, जो मुगल सम्राट, अकबर की आधिकारिक जीवनी है और जिसे भारतीय कला में एक नवाचार के रूप में देखा जाता है, बसावन को उनके चित्रण के लिए जाना जाता है।

उनके जीवन के बारे में बहुत कम ज्ञात है, हालांकि उनके नाम से पता चलता है कि वे वर्तमान उत्तर प्रदेश में अहीर जाति से थे। वे अकबर के लिए एक अदालत का चित्रकार बन गए, जहाँ वे अब्द अल-समद (उस समय के नामी ईरानी चित्रकार) के प्रभाव में आए। उनके बेटे मनोहर दास दरबारी चित्रकार के रूप में उनके उत्तराधिकारी बने।

बसावन को 100 से अधिक चित्रों का निर्माता माना जाता है। उनका सबसे पहला उल्लेख तूतीनामा (1556-1561) के सचित्र संस्करण में मिलता है। इनमें से अधिकांश चित्र पांडुलिपियों के लिए हैं। इनमें से कई में, बसावन एक दूसरे कलाकार के साथ डिजाइनर थे, जिन्होंने रंग की आपूर्ति की। जिन कामों के लिए निश्चित रूप से बसावन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, उनमें राजमनामा, अकबर-नामा, दरब-नामा, जमी के बहारिस्तान और तैमूर-नामे के चित्र शामिल हैं।

बसावन पश्चिमी तकनीकों में रुचि रखने वाले पहले भारतीय कलाकारों में से एक थे, और जेसुइट मिशनरियों द्वारा अकबर के दरबार में लाई गई यूरोपीय पेंटिंग से प्रेरित थे। यह प्रकाश और छाया के मजबूत विरोधाभासों के उनके उपयोग में देखा जा सकता है, हालांकि पश्चिमी प्रभाव उनके काम में प्रमुख नहीं है। बसावन को अंतरिक्ष की खोज, उनकी पृष्ठभूमि के परिसीमन, उनके रंगों की ताकत और उनके विषयों की मजबूत, चलती चरित्रों के लिए भी जाना जाता है। अकबर महान के इतिहासकार, अबू अल-फ़दल "अल्लामी (अबुल फ़ज़ल), ने बसावन के बारे में लिखा है- "डिजाइनिंग और पोर्ट्रेट पेंटिंग और रंग भरने और भ्रम के रूप में पेंटिंग बनाने में... उनका दुनिया में कोई मुक़ाबला नहीं था"।

प्रस्तुति डॉ. लाल रत्नाकर

सेहरी (लहिया) ग्रामसभा, अम्बेडकरनगर के जातिवार गणना

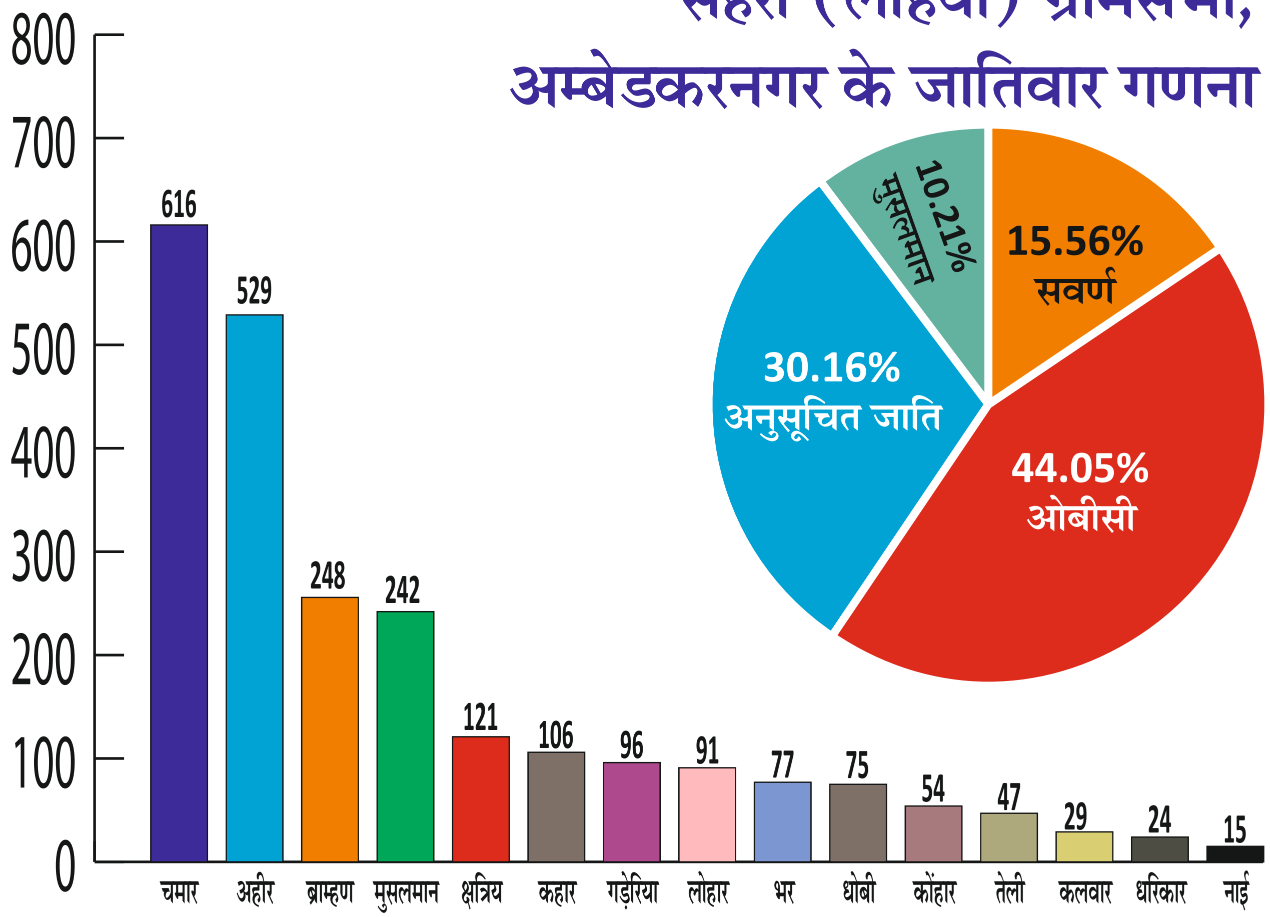

प्रस्तुत ग्राफ एवं पाई चार्ट के विस्तृत विवरण के लिए पृष्ठ 13 पढ़ें।

सन्तोष गैस्ट्रो केयर क्लीनिक

डॉ. सन्तोष कुमार यादव

M.B.B.S. (KGMC), M.D. (Medicine), (Gold Medalist), D.M. (Gastro)

पेट, आंत एवं लिवर रोग विशेषज्ञ

M:7080900811, 8726316476

उपलब्ध सुविधायें

1. एन्डोस्कोपी / कोलोनोस्कोपी मुंह / गुदा के रास्ते (बच्चों तथा वयस्क)
2. ई.आर.सी.पी. (ERCP) पित्त के नली में पथरी / रूकावट का इलाज।

निम्न रोगों के लिए सम्पर्क करें

→ गैस, बदहजमी, कोलाइटिस, उल्टी, डायरिया, बवासीर, उल्टी में खून, लैट्रिन में खून का आना।
→ पेट में दर्द, पेट का फूलना, भूख न लगना, वजन कम होना, लीवर सिरोसिस, पीलिया, हेपेटाइटिस एवं शराब सम्बन्धित पेट की बीमारियाँ, पैंक्रियेटाइटिस।

सा 15/144-4के, चन्द्रा चौराहा, आशापुर रोड, (बालू मण्डी के बगल में) वाराणसी

समय - प्रातः 10.00 से दोपहर 03.00 बजे तक